सत्यमेव जयते

षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के अनागत तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल संख्या 129 (एक सौ उन्नतीस)।

विषय–सूची

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
1	श्री अरूण कुमार (192)	ग्राम्य–368	1
2	श्री अचमित ऋषिदेव	घ–9, घ–10	1–2
3	श्री आबिदुर रहमान	द–69	2
4	श्री अशोक कुमार सिंह	खा–32	2–3
5	श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु"	अल्प–17	3
6	श्री अभय कुमार सिन्हा	द–94	4
7	श्री अरूण कुमार सिन्हा	द–02	4
8	श्रीमती बेबी कुमारी	टन–59	4–5
9	श्री बशिष्ठ सिंह	य–53	5
10	श्रीमती भागीरथी देवी	द–30	5
11	श्री दिनेश चन्द्र यादव	परि–19, द–72	5–6
12	श्री दिनकर राम	टन–60	7
13	श्री ददन यादव	टन–66	7
14	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह	टन–62	7–8
15	श्री (डॉ०) फराज फातमी	द–90	8
16	श्री फैसल रहमान	टन–63	8
17	श्री हरिशंकर यादव	ग्राम्य–357	8
18	श्री जिवेश कुमार	द–207	9
19	मो० जावेद	द–223	9
20	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	द–271	9
21	श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता	प्रा–02, वित्त–22	10–11
22	श्रीमती लेशी सिंह	य–17, द–24	11–12

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
23	श्री मेवालाल चौधरी	य–13	13
24	श्री मुन्द्रिका सिंह यादव	पुन–17, खा–22	13
25	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	खा–23, द–101, द–103	14
26	श्री मुजाहिद आलम	इ–8, प्रा–05, द–250	15–16
27	श्री मनोरंजन सिंह	खा–43	16–17
28	श्री मदन मोहन तिवारी	थ–28	17
29	श्री मिथिलेश तिवारी	खा–14	18
30	श्रीमती संगीता देवी	खा–37	18–19
31	श्री महेश्वर प्रसाद यादव	ए–109	19
32	मो० नेमतुल्लाह	टन–38, टन–48, द–48	19–20
33	मो० नवाज आलम	पथ–44, ग्राम्य–116	21
34	श्री नारायण प्रसाद	य–1, खा–6, खा–7, द–227	21–23
35	श्री नन्द कुमार राय	परि–21	23–24
36	श्री नौशाद आलम	प्रा–8	24
37	श्री नीरज कुमार सिंह	खा–36	24–25
38	श्री नन्द किशोर यादव	खा–30, द–133	25–26
39	श्री प्रमोद कुमार	द–236	26
40	श्री राजू तिवारी	खा–45, द–279	26–27
41	डॉ० रामानुज प्रसाद	खा–33, द–117	27–28
42	श्री रामविलास पासवान	ईख–13, टन–51	29
43	श्री राजकुमार राय	द–120	29–30
44	श्री रामदेव राय	खा–27, खा–28	30–31
45	श्री राघव शरण पाण्डेय	खा–44	31–32
46	श्री रमेश ऋषिदेव	द–60, द–61	32
47	श्री राजेश कुमार	लघु–54, टन–56, द–127	32–33
48	श्री रामविशुन सिंह	त्र–60, द–89	34–35
49	डॉ० रंजू गीता	ग–8, परि–14	35–36
50	श्री राम सेवक सिंह	ग्राम्य–162	36
51	श्री रत्नेश सादा	खा–38	36–37
52	श्री रामनारायण मंडल	द–7, द–8	37–38
53	श्री शशिभूषण हजारी	निबंध–3	38
54	डॉ० शकील अहमद खाँ	परि–12, द–67	38–39
55	श्री शमीम अहमद	य–54	39

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
56	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	लघु–72, लघु–58	39–40
57	श्रीमती सुनीता सिंह चौहान	य–02, ईख–04, खा–8	40–42
58	श्री सरोज यादव	खा–18	42
59	श्री सरफराज आलम	द–63	42–43
60	श्री सुरेश कुमार शर्मा	खा–15, य–21	43–44
61	श्री संजय सरावगी	खा–01, ए–43	44–45
62	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह	इ–10, य–04, खा–4, खा–26, परि–16, परि–17 ग–17, त्र–87	45–49
63	श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी	वित्त–23, टन–67, त्र–146	49–50
64	श्री सीताराम यादव	खा–42	50
65	श्री सुदामा प्रसाद	खा–39	50–51
66	डॉ० संजीव चौरसिया	सामु–05, ज–33	51–52
67	श्री समीर कुमार महासेठ	खा–13, द–86	52–53
68	श्रीमती समता देवी	ग–13, ग–14	53–54
69	श्री सैयद अबु दौजाना	य–8	54
70	श्री तारकिशोर प्रसाद	द–62	54–55
71	श्री उमेश सिंह कुशवाहा	खा–34	55
72	श्री विनोद प्रसाद यादव	खा–21, द–283	55–56
73	श्री विजय कुमार खेमका	वित्त–18, टन–53	56–57
74	श्री विद्या सागर केशरी	टन–58	57–58
75	श्री विजय कुमार सिन्हा	परि–10, ग्राम्य–79	58–59
76	श्री विनय वर्मा	खा–31, द–308	59–60
77	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	परि–8, य–60	60–61
78	श्री विजय कुमार विजय	सामु–08, द–242	61–62
79	श्री वीरेन्द्र कुमार	टन–64	62

नेटवर्क पुनरीक्षित करना

ग्राम्य–368. श्री अरूण कुमार (192)—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश विधान सभा क्षेत्र के छोटकी सासाराम असनी, मसाढ़ आदि पंचायतों के 100 से अधिक बसावट राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित होने से छुट गये हैं;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार संदेश विधान सभा क्षेत्र के राज्य कोर नेटवर्क को पुनरीक्षित कर छुटे हुये बसावटों/टोलों को सम्मिलित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य कोर नेटवर्क अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कोर नेटवर्क में छुटे हुये योग्य बसावटों का उपग्रह आधारित सर्वेक्षण प्रस्तावित ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के तहत किया जा रहा है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

हैण्ड हेल्ड डिवाईस उपलब्ध कराना

घ–9. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014–15 में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर दंड का अध्यारोपण हेतु प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारियों को हैण्ड हेल्ड डिवाईस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य का नेपाल से सटे जिला अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी में अबतक हैण्ड हेल्ड डिवाईस उपलब्ध नहीं कराने के कारण बार–बार अनियमितता बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध वर्धित दण्डात्मक शमन के साथ मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अन्य कानूनी कार्रवाई तत्क्षण नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी जिले में हैण्ड हेल्ड डिवाईस उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) हैण्ड हेल्ड डिवाईस परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने पर विचार किया गया परन्तु कतिपय तकनीकी कारणों से इस डिवाईस को उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया है।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्पष्ट किया जा चुका है।

भुगतान की सुविधा

घ–10. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014–15 में राज्य के 11 जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णियाँ, भागलपुर, नवादा, भोजपुर, नालंदा, छपरा, कटिहार एवं समस्तीपुर में वाहन कर का भुगतान ई–पेमेंट (ऑन लाइन) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया सहित अन्य जिलों में उक्त सुविधा के अभाव में वाहन स्वामी व्यावसायिक वाहनों का वाहन कर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अररिया सहित शेष जिलों में कबतक ई–पेमेंट के माध्यम से वाहन कर भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल पर बिहार राज्य के सभी जिले e-payment के माध्यम से वाहन कर का भुगतान कर सकते हैं। अररिया में भी भारतीय स्टेट बैंक से भारतीय स्टेट बैंक पोर्टल के माध्यम से वाहन कर का भुगतान किये जाने की सुविधा उपलब्ध है एवं जिले में इस सुविधा का उपयोग भी किया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्पष्ट किया जा चुका है।

महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–69. श्री आबिदुर रहमान—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के सदर अस्पताल में महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने से महिलाओं को अपनी चिकित्सा कराने में कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। अररिया सदर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक प्रतिनियुक्त है। आवश्यकता होने पर और महिला चिकित्सक उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उपर्युक्त खण्ड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

दोषी पर कार्रवाई

खा–32. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के जलालपुर पैक्स राईस मिल को वर्ष 2014–15 में वैकुण्ठपुर प्रखंड के हकाम, उसरी, बन्धौली, धर्मवारी, सिरसा, मानपुर, बॉसघाट, मसूरियों एवं सिधवलिया प्रखंड के सुपौली, लोहिजरा, शेर, बखओर पैक्स के अध्यक्षों के द्वारा 40 हजार 4 सौ क्विंटल धान किसानों से खरीरदारी की गयी थी, लेकिन राईस मिल द्वारा धान की कीमतों का भुगतान सभी पैक्सों को अबतक नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पैक्स राईस मिल, जलालपुर द्वारा सभी पैक्सों से खरीदी गई धान की राशि पैक्सों को नहीं देने के कारण दी सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, गोपालगंज द्वारा 10 लाख का ऋण वापस नहीं करने के कारण पैक्सों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पैक्स राईस मिल, जलालपुर के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है।

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड के जलालपुर पैक्स राईस मिल में वैकुण्ठपुर प्रखंड के हकाम, उसरी, बन्हौली, बनौरा, धर्मवारी, सिरसा मानपुर, बाँसघाट, मसुरियाँ एवं सिधवलिया प्रखंड के सुपौली, लोहिजरा, शेर, बखरौर पैक्सों द्वारा वर्ष 2014–15 में पैक्सों से मिलिंग हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 9985.45 क्विंटल में से 9383.45 क्विंटल धान का भुगतान पैक्सों को कर दिया गया है। साथ ही गोपालगंज सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक द्वारा इन पैक्सों को दिये गये ऋण का भुगतान भी हो चुका है। (साक्ष्य संलग्न) जहाँ तक धर्मवारी पैक्स के धान का प्रश्न है, जलालपुर कला पैक्स राईस मिल का गोदाम भर जाने के कारण उनका धान 602 क्विंटल प्राप्त कर दोनों पैक्सों के आपसी सहमति से धर्मबारी पैक्स के गोदाम में ही धान रखा गया है, जिसपर आज भी धर्मबारी पैक्स अध्यक्ष का ताला लगा हुआ है। जलालपुरकला पैक्स अध्यक्ष द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि उनके मिल में धान प्राप्त होते ही धर्मबारी पैक्स के बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(2) अस्वीकारात्मक। जलालपुर पैक्स राईस मिल द्वारा वैकुण्ठपुर प्रखंड के 6 में से 5 एवं सिधवलिया प्रखंड के सभी 4 पैक्सों के धान की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः ये 9 पैक्स गोपालगंज सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के डिफॉल्टर नहीं है। जलालपुरकला पैक्स अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में भी दिया गया है कि वैकुण्ठपुर प्रखंड के धर्मबारी पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने गोदाम में ताला लगाकर रखे गये धान को उपलब्ध कराने के उपरांत उनसे भी राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

केन्द्र खोलना

अल्प–17. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "पप्पु"—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंडान्तर्गत खजुरी पंचायत के ग्राम–महुआँवा में अक्षर आँचल योजना अन्तर्गत तालिमी मरकज खोलने हेतु प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा फरवरी, 2015 एवं सितम्बर, 2015 में विभागीय प्रधान सचिव से लिखित अनुरोध किये जाने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में एक तालिमी मरकज केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?;

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। गोपालगंज जिले को 266 तालिमी मरकज केन्द्र खोलने का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया। जिला संचालन समिति द्वारा अल्पसंख्यकों की प्रखंडवार अनुपातिक संख्या के आधार पर कुचायकोट प्रखंड में 30 केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त प्रखंड लोक शिक्षा समिति द्वारा जिस टोला में अल्पसंख्यकों की अनुपातिक रूप से संख्या अधिक थी, उन टोलों का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षणोपरान्त खजुरी पंचायत के मलही एवं खजुरी ग्राम के टोलों में दो केन्द्र खोले गये।

खजुरी पंचायत में मात्र तीन ग्राम–खजुरी, मलही एवं महुआँवा है, जिसमें महुआँवा ग्राम में दो प्राथमिक विद्यालय एक उच्च विद्यालय एवं एक इन्टर कॉलेज पूर्व से कार्यरत हैं, जिसके कारण प्रखंड लोक शिक्षा समिति द्वारा खजुरी एवं मलही ग्राम में केन्द्र खोला गया।

वर्तमान में खजुरी पंचायत के मलही एवं खजुरी में दो केन्द्र चल रहे हैं।

चिकित्सक एवं नर्स की प्रतिनियुक्ति

द–94. श्री अमय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी में 24 चिकित्सक एवं 48 ए ग्रेड ए०एन०एम० का पद सृजित है जिसके विरुद्ध 2 चिकित्सक तथा 13 ए ग्रेड ए०एन०एम० पदस्थापित हैं तथा सर्जन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में चिकित्सक, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं ए ग्रेड नर्सों की कमी के कारण मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है और उन्हें इलाज हेतु गया या अन्य अस्पतालों में जाना पड़ता है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी में चिकित्सकों एवं ए ग्रेड नर्सों को सृजित पदों के अनुरूप पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) चिकित्सकों का पदस्थापन दो माह में कर दिया जायेगा। नर्स की अनुशंसा प्राप्त है। पदस्थापन जल्दी कर दिया जायेगा।

आई–लेंस का क्रय करना

द–02. श्री अरूण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के बाद आई–लेंस का क्रय नहीं किये जाने के कारण मरीजों को बाजार से महंगे दाम पर लेंस खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आई–लेंस का क्रय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। आई लेन्स के लिये भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई जाती थी। विगत दो वर्षों से भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अंधापन नियंत्रण हेतु प्रति रोगी चार सौ पचास रुपये राशि जिलों में उपलब्ध कराया जाता है, इससे लेन्स भी खरीदा जाता है। लेन्स की कीमत लगभग 100 रु० है

पर्यटक स्थल बनाना

टन–59. श्रीमती बेबी कुमारी—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहा विधान सभा के मुसहरी प्रखंड स्थित मनीका मन को सन् 2010 में ही राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थल बनाने की घोषणा के बाद भी अभीतक उक्त स्थल को पर्यटक स्थल नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो कबतक सरकार वर्णित स्थल को पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है। वस्तुतः राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित कतिपय पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन रोडमैप का

निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों का चरणबद्ध रूप से विकास किये जाने की योजना है।

पावर सब–स्टेशन लगाना

य–53. श्री बशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के बरहरी प्रखंड करगहर एवं कोनार प्रखण्ड शिव सागर में कृषि आधारित उद्योग चलता है, किन्तु बिजली का कम वोल्टेज मिलने के कारण राईस मिल चलाने में एवं कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थलों पर कबतक पावर सब–स्टेशन लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। रोहतास जिला के बरहरी प्रखण्ड करगहर एवं कोनार प्रखण्ड शिव सागर में वोल्टेज समस्या को दूर करने के लिये करगहर में 33/11 के०वी० पावर सब–स्टेशन का निर्माण कराकर ऊर्जान्वित किया गया है। उक्त पावर सब–स्टेशन से 11 के०वी० फीडर का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे एक महीने में चालू कर लोड शेयर करने का लक्ष्य है जिससे कि कम वोल्टेज कि समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जायेगी। वर्तमान में किनार एवं बरकी अखोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत पावर सब–स्टेशन बनाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानांतरण

द–30. श्रीमती भागीरथी देवी—क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत रामनगर एवं गौनाहा प्रखण्ड में दो प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी विगत 6 वर्षों से कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार कोई भी कर्मी एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रह सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र में तीन साल से अधिक समय से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सामान्यतया तीन वर्षों में स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है।

(3) सरकार के आदेश के आलोक में सामान्य स्थानान्तरण माह जून में ही किया जा सकता है। उस समय नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

बैंक शाखा खोलना

परि–19. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सितानाबाद

गाँव की आबादी दस हजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सितानाबाद में एक भी बैंक नहीं रहने से आम–लोगों को काफी असुविधा होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सितानाबाद में बैंक की शाखा खोलना का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त ग्राम 1 सितम्बर, 1983 से 25 अप्रील, 1999 तक कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थी। लगातार घाटे में चलने के कारण आर०बी०आई० के निदेश के आलोक में उसे सिमरी बख्तियारपुर में स्थानान्तरित किया गया है।

वर्तमान में सितानाबाद में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के दो सुनहरा सपना केन्द्र (बी०सी० केन्द्र) उत्तरी एवं दक्षिणी कार्यरत है जिसका नियंत्रण 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बलबाहाट शाखा से की जा रही है। ग्राम सितानाबाद में पुनः बैंक की नयी शाखा खोलने संबंधी सर्वे क्षेत्रीय प्रबंधक, सहरसा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से करायी जा रही है।

(3) खण्ड (2) में स्पष्ट किया गया है। आर०बी०आई० के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंक का ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने हेतु एस०एल०बी०सी० के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

द–72. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी, बख्तियारपुर में सृजित पद के विरुद्ध चिकित्सक, तकनीशियन, नर्स–कम्पाउण्डर एवं अन्य कर्मचारी का पदस्थापन नहीं होने से अस्पताल ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिससे आम रोगी परेशान है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त अस्पताल में सृजित पद के अनुरूप चिकित्सक, तकनीशियन एवं अन्य कर्मचारियों का पदस्थापन कर अस्पताल को सुचारू रूप से चलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर में पदस्थापित दो नियमित चिकित्सक एवं एक संविदा चिकित्सक के द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर में कार्य लिया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर का कार्य अनुमण्डलीय अस्पताल के भवन में चल रहा है अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति उक्त अनुमण्डलीय अस्पताल में किया गया है।

(2) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। आवश्यकतानुसार पदस्थापन अगले माह में कर दिया जायेगा।

चहारदीवारी का निर्माण

टन–60. श्री दिनकर राम—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखंड स्थित लखनौर ग्राम में बाबा लक्ष्मीनाथ द्वारा स्थापित राधाकृष्ण मंदिर के परिसर में मिट्टी भराई, सोलर लाईट, घाट का निर्माण आदि कार्य विगत तीन वर्ष पूर्व 35 लाख की लागत से किया गया है लेकिन मंदिर की चहारदीवारी जीर्ण–शीर्ण हो चुका है जिसका निर्माण अत्यन्त ही आवश्यक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी टूटे–फूटे रहने के कारण कुत्ता, सुअर, आवारा पशु मंदिर में प्रवेश कर गंदगी फैला देते हैं, जिससे लोगों को पूजा–पाठ करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की चहारदीवारी का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) राधाकृष्ण मंदिर, लखनौर के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा मो० 27,72,500 रुपये की योजना बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने प्रतिवेदित किया है कि मंदिर के दक्षिण भाग की चहारदीवारी का एक छोटा–सा भाग क्षतिग्रस्त है।

(2) अस्वीकारात्मक।

(3) उक्त मंदिर की चहारदीवारी निर्माण का सरकार का तत्काल विचार नहीं है।

सुविधा मुहैया कराना

टन–66. श्री ददन यादव—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डुमराँव विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत भोजपुर ग्राम में राजा भोज का किला रहने के कारण काफी संख्या में पर्यटक उसके दर्शन के लिये आते हैं परन्तु उक्त स्थल पर सुविधा का अभाव है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजा भोज का किला को पर्यटन स्थल घोषित करते हुये सारी सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटक स्थल अवस्थित हैं, जिनके विकास हेतु विभाग स्तर पर पर्यटन रोडमैप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से पर्यटकीय स्थलों के विकास की योजना है।

पर्यटक केन्द्र का दर्जा देना

टन–62. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण में वाल्मीकिनगर के पास वाल्मीकि जी का

आश्रम है जिसे देखने के लिये देश–विदेश के पर्यटक आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार वाल्मिकिनगर महोत्सव के साथ–साथ वाल्मिकिनगर को पर्यटक केन्द्र का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वाल्मिकिनगर में वाल्मीकि महोत्सव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के माध्यम से आयोजित कियां जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन केन्द्र घोषित किये जाने की नीति नहीं है।

कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

द–90. श्री (डॉ०) फराज फातमी—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, सोनोग्राफी एवं चालक के स्वीकृत पद क्रमशः 05, 02, 02, 03, 01 एवं 02 के विरुद्ध क्रमशः 01, 00, 01, 00, 00 एवं 00 कार्यरत है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में कर्मियों की कमी दूर करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) चिकित्सकों का पदस्थापन अगले दो माह में कर दिया जायेगा। अन्य कर्मी हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है।

(2) उपर्युक्त खंड (1) में उत्तर स्पष्ट कर दी गई है।

पर्यटन स्थल विकसित करना

टन–63. श्री फैसल रहमान—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका प्रखंड के बड़हरवा, लखनसेन ग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी चम्पारण के यात्रा के दौरान बहुत दिनों तक निवास किये थे ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़हरवा, लखनसेन गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) विभाग द्वारा गाँधी परिपथ से संबंधित स्थलों के विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण किया जा रहा है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–357. श्री हरिशंकर यादव—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत हुसैनगंज प्रखंड के ग्राम हथौड़ा पूर्व टोला के निकट गंडक नहर पर पुल का निर्माण नहीं होने से वहाँ के निवासियों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नहर पर पुल का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत हुसैनगंज प्रखंड के

ग्राम हथौड़ा पूरब टोला के निकट दरवेशपुर उप–वितरणी के 7.30 आर०डी० पर एक नाला क्रॉस करता है। जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित है।

पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन योजना के अधीन उक्त नाले एवं नहर के क्रॉसिंग पर सी०डी० वर्क्स का निर्माण कार्य कराया जाना है । सी०डी० वर्क्स का निर्माण के फलस्वरूप नहर के सेवापथ पर आवागमन सुलभ हो जायेगा। मार्च, 2017 तक प्रश्नगत संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

ब्लड बैंक चालू करना

द–207. श्री जिवेश कुमार—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले रेफरल अस्पताल में ब्लड बैंक बनाने की स्वीकृति मिल गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि ब्लड बैंक को सुचारू रूप से संचालन करनेवाले चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति जाले रेफरल अस्पताल में नहीं किये जाने के कारण अस्पताल में ब्लड बैंक का कार्य बाधित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक संचालन करनेवाले चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर ब्लड बैंक को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है। प्रशिक्षित चिकित्सक के अभाव में ब्लड स्टोरेज का कार्य बाधित है।

(3) दरभंगा जिला के जाले रेफरल अस्पताल में ब्लड बैंक का सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश सिविल सर्जन को दिया गया है।

चिकित्सक एवं ए०एन०एम० का पदस्थापन

द–223. मो० जावेद—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के किशनगंज प्रखण्ड के सिंघिया कुलामनी पंचायत में उप–स्वास्थ्य केन्द्र, कुलामनी स्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कोई भी चिकित्सक एवं ए०एन०एम० पदस्थापित नहीं रहने के कारण लोगों को चिकित्सा कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उप–स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक एवं ए०एन०एम० पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वास्थ्य उप–केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। स्वास्थ्य उप–केन्द्र कुलामनी में ए०एन०एम० का दो पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध दो ए०एन०एम० कार्यरत हैं।

(3) उपर्युक्त खण्ड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

डॉक्टर एवं ऐम्बुलेंस की व्यवस्था

द–271. श्री कृष्ण कुमार ऋषि—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल को रेफरल अस्पताल का दर्जा विगत 5 वर्ष पूर्व दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतने वर्ष उपरान्त भी अबतक उक्त अस्पताल में रेफरल अस्पताल के तर्ज पर डॉक्टर तथा ऐम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में रेफरल अस्पताल के तर्ज पर डॉक्टर तथा ऐम्बुलेंस की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक नहीं है।

(2) पूर्णियाँ जिला के बनमनखी के अनुमण्डलीय अस्पताल ही वर्तमान में कार्यरत है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनमनखी में पदस्थापित 9 नियमित एवं संविदा चिकित्सक अनुमण्डलीय अस्पताल में कार्यरत हैं।

अनुमण्डलीय अस्पताल, बनमनखी में एम्बुलेंस उपलब्ध है।

(3) उपर्युक्त खंड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कौशल विकास की पढ़ाई शुरू करना

प्रा–02. श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा सभी इंजीनियरिंग और व्यावसायिक कॉलेज में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कराने का निर्देश दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्देश के आलोक में कौशल विकास की पढ़ाई की व्यवस्था किन–किन कॉलेजों में कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2015–16 एवं 2016–17 में ए०आई०सी०टी०ई० का किसी प्रकार का दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है। सत्र 2013–14 में व्यवसायिक शिक्षा एवं सामुदायिक महाविद्यालय पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया प्रकाशित की गई थी। परन्तु उसके पश्चात् किसी प्रकार का मार्गदर्शन प्रकाशित नहीं है।

कौशल विकास कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कम समय अवधि (न्यूनतम 200 घंटे) के है। यह पाठ्यक्रम Drop out छात्रों तथा कम पढ़ें लिखे अकुशल व्यक्तियों को लघु प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है ताकि रोगजार/स्वरोजगार का अवसर उत्पन्न हो सके। राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के संचालन हेतु अपने अधीनस्थ संस्थान के वित्तीय वर्ष 2015–16 में 17,04,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई है एवं सामुदायिक पॉलिटेक्निक स्कीम के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु विभागाधीनस्थ आठ (8) पॉलिटेक्निक संस्थानों को कुल 82,41,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई

वित्त–22. श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोज भेली नामक चिट फंड कम्पनी, बिहार में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय साल्ट लेक स्ट्रीट गोदरेज बिल्डिंग, कोलकाता में मुख्यालय है तथा इसका ब्रॉच ऑफिस, अनिसाबाद, पटना, बिहार में हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के लगभग एक लाख एजेंटो के द्वारा 30 लाख लाभार्थियों का रुपया इस चिट फंड कम्पनी में जमा कराया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि रोज भेली चिट फंड कंपनी की अभीतक की सम्पत्ति 500 करोड़ हैं, जिसमें निवेशकों का पैसा जमा है, परन्तु निवेशकों के द्वारा अपना पैसा माँगे जाने पर उसे पैसा वापस नहीं किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निवेशकों का पैसा वापस करने हेतु कंपनी के विरुद्ध कौन–सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) एजेंटो/लाभार्थियों की सही–सही संख्या का आकलन अनुसंधान के क्रम में है।

(3) कम्पनी के परिसम्पत्तियों का आकलन अनुसंधान के क्रम में है।

(4) 1. रोज भेली कम्पनी के विरुद्ध गर्दनीबाग (पटना) थाना काण्ड सं० 141/13, दिनांक 2 मई, 2013, धारा 408/409/420/467/468/120(बी०) भा०द०वि० एवं नगर (मोतिहारी) थाना काण्ड सं० 188/13, दिनांक 02 मई, 2013, धारा 406/408/420/467/468/471/120(बी)/34 भा०द०वि० तथा कटोरिया (बांका) थाना काण्ड सं० 81/13, दिनांक 13 मई, 2013, धारा 406/420/467/468/471/120(बी०) भा०द०वि० दर्ज किया गया है।

2. दिनांक 10 जुलाई, 2013 तथा 18 जून, 2014 को विनियामक एजेन्सी (Regulatory Body), सेबी द्वारा इस कम्पनी के वित्तीय क्रिया–कलाप तथा आमजनों से धन उगाही को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऐक्ट 1992 की धारा 11 एवं 12(बी) के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया जा चुका है।

ट्रांसफॉर्मर लगाना

ऊ–17. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखण्ड अधीन धमदाहा फीडर के मीरगंज पावर सब–स्टेशन तथा के० नगर प्रखण्ड अधीन मरंगा फीडर के चम्पानगर पावर सब–स्टेशन में 5 एम०भी०ए० का पावर ट्रांसफॉर्मर रहने के कारण लोड शेडिंग की समस्या रहती है, फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सायंकालीन विद्युत आपूर्ति नहीं होने से असंतोष व्याप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमण्डल, विद्युत आपूर्त्ति, पूर्णियाँ द्वारा भी उक्त दोनों सब–स्टेशनों में 10 एम०भी०ए० का ट्रान्सफॉर्मर लगाने की अनुशंसा की गई है ;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों सब–स्टेशन में 10 एम०भी०ए० का ट्रान्सफॉर्मर लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक। I धमदाहा प्रखण्ड अन्तर्गत मीरगंज पावर सब–स्टेशन से निकल रहे 11 के०भी० धमदाहा फीडर को पूर्व में 5 एम०भी०ए० पावर ट्रान्सफॉर्मर से विद्युत आपूर्ति दी जाती थी। किन्तु इस समस्या के निदान हेतु दो 5 एम०भी०ए० पावर ट्रान्सफॉर्मर को Parallel कर उसकी क्षमता 10 एम०भी०ए० कर दिया गया है एवं ओवर लोडिंग की समस्या समाप्त हो गयी है। वर्तमान में RGGVY 11वीं योजना फेज–2 के अन्तर्गत धमदाहा प्रखण्ड के नीरपुर में 2X5 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर क्षमता का नया सब–स्टेशन भी बनाया जा रहा है। जिसे मार्च, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

II के० नगर प्रखण्ड अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति मरंगा पावर सब–स्टेशन में 5 एम०भी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर द्वारा 11 के०भी० चम्पानगर फीडर से की जाती है। वर्तमान में पीक आवर लोड 210 ए० एवं ऑफ पीक आवर लोड 125 ए० रहता है। समस्या के निदान हेतु वर्तमान में RGGVY 11वीं योजना फेज–2 के अन्तर्गत के० नगर प्रखण्ड के चम्पानगर में 3X5 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर क्षमता का नया सब–स्टेशन भी बनाया जा रहा है।

जिसे मार्च, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) ट्रांसफॉर्मर को Parallel करने एवं दोनों प्रखण्डों में दो नये पावर सब–स्टेशन (नीरपुर एवं चम्पानगर) बनने के बाद समस्या का समाधान हो जायेगा। अतः 10 एम०भी०ए० का पावर ट्रांसफॉर्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

डॉक्टर का पदस्थापन

द–24. **श्रीमती लेशी सिंह**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा अनुमण्डल रेफरल अस्पताल में कुल सृजित पद के अनुरूप डॉक्टरों का पदस्थापन नहीं रहने के कारण मरीजों को समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धमदाहा अनुमण्डल रेफरल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन नहीं रहने के कारण महिला रोगियों को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रेफरल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक समेत सृजित पद के अनुरूप डॉक्टरों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। धमदाहा अनुमण्डल रेफरल अस्पताल में एक महिला चिकित्सक कार्यरत हैं।

(3) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। पदस्थापन मार्च माह में कर दिया जायेगा।

नलकूप चालू करना

य–13. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड अन्तर्गत रहमतपुर पंचायत के रहमतपुर गाँव स्थित राजकीय नलकूप विद्युत् के अभाव में 5 वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजकीय नलकूप बंद होने से किसानों का पटवन कार्य बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के राजकीय नलकूप में कबतक के विद्युत् संबंधन कर नलकूप चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) (2) एवं (3) अस्वीकारात्मक है। मुंगेर जिला के असरगंज प्रखण्ड अन्तर्गत रहमतपुर पंचायत के रहमतपुर गाँव स्थित राजकीय नलकूप की विद्युत आपूर्ति चालू अवस्था में है एवं नलकूप भी चालू अवस्था में है।

कटाव को रोकना

पुन–17. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के मोगलापुर, कोनी, सोनभद्र, अनुआ, भगवतीपुर, धमौल, गौहरा, डकरा गाँव पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो नदी के कटाव के कारण विलीन होने की कगार पर है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवों को कटाव से रोकने के लिये कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सभी गाँव पुनपुन नदी के तट पर है। वर्तमान में सभी गाँव सुरक्षित है एवं गाँवों के विलीन होने की स्थिति नहीं है।

(2) पुनपुन नदी में विगत कई वर्षों से बाढ़ की स्थिति नहीं आयी है एवं वर्तमान में इन गाँवों में कटाव निरोधक कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है।

बाढ़ अवधि में कटाव की स्थिति बनने पर आवश्यतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है।

खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं होने का औचित्य

खा–22. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जन–वितरण प्रणाली की दूकानों द्वारा कार्डधारियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। राज्य में जन–वितरण प्रणाली की दूकानों द्वारा कार्डधारियों को प्रतिमाह खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

राशन उपलब्ध कराना

खा–23. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत उत्तरी कांटाकोश ग्राम पंचायत के इनायतपुर गाँव के 59 उपभोक्ताओं का नाम 2013 के विभागीय सी०डी० में था जिसमें से केवल 3 को जुलाई, 2015 का राशन मिला, परन्तु शेष को न तो राशन कार्ड मिला और न ही राशन, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उपभोक्ताओं को राशन कार्ड और राशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। यह सही है कि उत्तरी कांटाकोश पंचायत के कुछ उपभोक्ताओं के नाम से निर्गत राशन कार्ड के पी०डी०एफ० फाईल में भूलवश दक्षिण कांटाकोश पंचायत का नाम मुद्रित हो गया था, इस तथ्य के प्रकाश में आते ही इन कार्डों को सुधार कर उत्तरी कांटाकोश पंचायत के सभी लाभुकों इनायतपुर गाँव के लाभुकों सहित के बीच वितरित कर दिया गया है। वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न के आवंटन के आधार पर इन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–101. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखण्ड अन्तर्गत कुरेठा उप–स्वास्थ्य केन्द्र में कोई चिकित्सक प्रतिनियुक्त नहीं रहने के कारण आमलोगों को असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त उप–स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उप–स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का पद नहीं होता है। मात्र दो ए०एन०एम० का पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध दो ए०एन०एम० काम कर रही है।

चिकित्सक एवं नर्स का पदस्थापन

द–103. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड के बैरिया ग्राम पंचायत के गौरीपुर ग्राम में स्थापित उप–स्वास्थ्य केन्द्र का भवन है लेकिन वहाँ चिकित्सक और नर्स प्रतिनियुक्त/पदस्थापित नहीं हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ चिकित्सक और नर्स पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उप–स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होता है।

उप–स्वास्थ्य केन्द्र में ए०एन०एम० का दो पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध श्रीमती नीलम कुमारी पदस्थापित हैं।

आठ सौ पचास ए ग्रेड नर्स का अनुशंसा प्राप्त है, शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जायेगा।

सेवा में वापस लेना

इ–8. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला में पदस्थापित वीरेन्द्र नाथ झा, अररिया प्रखण्ड, कमलेश कुमार मंडल, अररिया प्रखण्ड, राम विलास राम, सिकटी प्रखंड, प्रदीप कुमार, अररिया प्रखण्ड सहित सात कर्मचारियों को वर्ष 2009 में डेटी पैक्स घोटाला में एक ही आरोप में निलंबित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चार कर्मचारियों को क्रमशः 9 फरवरी, 2010, 29 अप्रील, 2010, 28 फरवरी, 2011, 27 मई, 2013 को अररिया जिला पदाधिकारी द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया, जबकि मोतिउर रहमान, पलासी प्रखण्ड को 15 जनवरी, 2014, जावेद अनवर, जोकीहाट प्रखण्ड को 21 मई, 2014, परवेज नजीर, सिकटी प्रखण्ड को 26 फरवरी, 2014 के प्रभाव से मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त बर्खास्त कर्मियों को पुनः सेवा में वापस लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि श्री वीरेन्द्र नाथ झा एवं श्री प्रदीप कुमार यादव, नाजिर, भरगामा प्रखण्ड को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में की गई कार्रवाई के आधार पर निलंबन से मुक्त किया गया है।

श्री कमलेश्वर प्रसाद मण्डल, नाजिर, प्रखण्ड कार्यालय, अररिया एवं श्री रामविलास राम, तत्कालीन नाजीर, सिकटी प्रखण्ड, अररिया के विरुद्ध चलाये जा रहे विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन तथा विभागीय कार्यवाही से मुक्त किया गया है।

जबकि श्री मेतउररहमान, उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, पलासी प्रखण्ड, श्री मो० जावेद अनवर, सहायक उर्दू अनुवादक–सह–नाजिर, जोकिहाट प्रखण्ड, अररिया, श्री परवेज नजीर, सहायक उर्दू अनुवाद–सह–नाजिर, सिकटी प्रखण्ड, अररिया के विरुद्ध लगाये गये आरोप को सही पाया गया है एवं इन्हें पदच्युत तथा बर्खास्त किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति में बर्खास्त कर्मियों को पुनः सेवा में लेने का प्रावधान नहीं है।

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

प्रा–05. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला में अवस्थित है।

राज्य के सुशासन कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जानी है।

किशनगंज जिले में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक वि०प्रा०(II)पो०–07/2013/2927, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा जिलाधिकारी, किशनगंज से भूमि हस्तांतरण के लिये अनुरोध किया जा चुका है। भूमि हस्तांतरण के उपरान्त संस्थान प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज के नेजागछ में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जा रही है। जिसका भवन निर्माणाधीन है।

किशनगंज जिले में अन्यत्र कोई राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रस्तावित नहीं है।

चिकित्सकों की कमी दूर करना

द–250. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एम०बी०बी०एस० चिकित्सक (प्रभारी) और एक दन्त चिकित्सक ही कार्यरत हैं जबकि यहाँ रोजाना 200 से अधिक मरीज इलाज कराने के लिये आते हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की कमी को दूर करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) सामान्य चिकित्सकों का दो हजार नौ सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से लगभग एक हजार नौ सौ पचास का अनुशंसा प्राप्त है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगभग दो हजार सात सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से छः सौ का अनुशंसा प्राप्त है।

आवश्यकतानुसार चिकित्सकों का पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

कार्रवाई करना

खा–43. श्री मनोरंजन सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत सिंधवलिया प्रखण्ड के जलालपुर के जन–वितरण विक्रेता श्री जितेन्द्र राय द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम एवं अधिक मूल्य पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल प्रतिमाह दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जलालपुर के उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में 7 अगस्त, 2015 एवं 15 दिसम्बर, 2015 को अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज को लिखित शिकायत की गई थी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी जन–वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिंधवलिया एवं प्रखंड सहाकरिता प्रसार पदाधिकारी, सिंधवलिया द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय जाँच किया गया है। जाँच के क्रम में जन–वितरण प्रणाली विक्रेता श्री जितेन्द्र राय के विरुद्ध कोई साक्ष्य या लिखित बयान प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) स्वीकारात्मक है। जलालपुर के उपभोक्ताओं द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में प्राप्त लिखित शिकायत की जाँच की गयी। जाँच में लिखित शिकायत छद्म पायी गयी है।

(3) अस्वीकारात्मक है। जाँच के क्रम में ऐसा कोई भी साक्ष्य या लिखित बयान नहीं प्राप्त हुआ जिसमें जन–वितरण प्रणाली के दूकानदार श्री जितेन्द्र राय दोषी सिद्ध हो, अतः इनके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

राशि उपलब्ध कराना

थ–28. श्री मदन मोहन तिवारी—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया तथा बेतिया सदर प्रखंड के वृद्धा पेंशनधारियों को अप्रैल, 2015 से वृद्धा अवस्था पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पेंशन भोगियों को पेंशन की राशि नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पेंशन भोगियों को राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिलाधिकारी प० चम्पारण के पत्रांक 37, दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पेंशन वितरण हेतु आयोजित पेंशन पखवाड़ा 16–31 जुलाई, 2015 के दौरान पेंशनधारियों के माह अप्रैल से जुलाई, 2015 तक की राशि का भुगतान किया गया है।

राशि की कमी के कारण कुछ पंचायतों में उक्त अवधि का भुगतान लंबित है।

मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 464, दिनांक 16 मार्च, 2016 के आलोक में अगस्त, 2015 से फरवरी, 2016 तक की अवधि का भुगतान 20–30 मार्च, 2016 को पेंशन वितरण शिविर में किया जाना है। यदि अप्रैल से जुलाई, 2015 तक के लिये किसी पेंशनधारी का बकाया है, तो उसका भी भुगतान इस शिविर में किया जायेगा।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(3) कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करना

खा–14. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ 57 लाख लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2014–15 तक सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना था;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना में सरकारी उदासीनता के कारण बहुत से लाभुकों का नाम इस योजना में शामिल नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस योजना में शामिल होने से छूट गये परिवारों से आपत्ति आवेदन–पत्र प्राप्ति किये गये थे, लेकिन उस पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना के लाभुक परिवारों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने हेतु वंचित परिवारों को नाम उक्त योजना में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 1 फरवरी, 2014 से राज्य में लागू है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के आलोक में 8.57 करोड़ लाभुकों को सस्ते दर पर खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।

(2) अस्वीकारात्मक है। SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् कुल 8.62 करोड़ पात्र व्यक्तियों की संख्या प्रतिवेदित हुई है इस स्थिति में बढ़े हुये पात्र व्यक्तियों 10232009 हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त खाद्यान्न की माँग की गई है। इस आलोक में भारत सरकार द्वारा कुल 9649340 पात्र व्यक्तियों को शामिल करते हुये 4.57 मे०टन खाद्यान्न मासिक आवंटन के विरुद्ध कुल 8.57 लाख लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) अस्वीकारात्मक है। आपत्ति आवेदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् 9649340 अतिरिक्त पूर्विकताप्राप्त पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अनाज का वितरण

खा–37. श्रीमती मंगीता देवी—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैदपुर प्रखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति नियमित और निर्धारित रूप से नहीं दी जाती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा निर्धारित एवं नियमित रूप से अनाज का वितरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नी सैदपुर प्रखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को नियमित रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।

माह अक्तूबर, 2015 से अबतक खाद्यान्न के वितरण में अनियमितता का एक मामला पैक्स अध्यक्ष–सह–संचालक, ओलीपुर सरहचिया पैक्स जन–वितरण प्रणाली दूकान के विरुद्ध प्रतिवेदित है।

ओलीपुर पैक्त अध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् उत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

अतिक्रमण से मुक्त

ए–109. श्री महेश्वर प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत एन०एच०–57 चाँदनी चौक से भाया–जीरोमाईल बखरी चौक तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, जिससे उक्त सड़क पर वाहनों का आवागमन का भारी दबाव रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पथ को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। मुजफ्फरपुर जिला के काँटी अंचलान्तर्गत एन०एच०–57 चाँदनी चौक से जीरोमाईल तक एवं मुशहरी अंचल अन्तर्गत दादर पुल से पूरब जीरोमाईल होते हुये बखरी चौक तक सड़क के दोनों तरफ कहीं–कहीं फल की दूकान, गुमटी आदि लगाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसे पूर्व में भी कई बार अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया है कि वर्तमान में किये गये अतिक्रमण को हटाकर फिर से अतिक्रमण न हो इसकी निगरानी रखेंगे।

मकबरा का जीर्णोद्धार

टन–38. मो० नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर अन्तर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में दरगाह शाह अजाँ का चार सौ वर्ष पुराना मकबरा है तथा वह एक पर्यटक स्थल भी है जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित मकबरा का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पटना के सुल्तानगंज थाना अन्तर्गत दीवान शाह अजाँ रहमतुल्ला का मकबरा अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध फकीर थे। यहाँ प्रत्येक वर्ष उनका उर्स मनाया जाता है। वर्तमान में उनका 409वाँ उर्स मनाया जा रहा है। परन्तु स्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों से इसकी प्राचीनता पुष्ट नहीं की जा सकी।

मकबरे की स्थिति अच्छी है जिस पर हाल ही में स्थानीय सहयोग से जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में उक्त स्थल के जीर्णोद्धार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मकबरा का जीर्णोद्धार

टन–48. मो० नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि सासाराम शहर में बिहार के गौरव एवं भारत के पूर्व बादशाह शेरशाह सूरी का भव्य मकबरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित मकबरा का तालाब एवं भवन की स्थिति जर्जर है तथा मकबरा के चारों तरफ गंदगी का अम्बार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मकबरा का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। शेरशाह सूरी का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा सुरक्षित स्मारक है। अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल के पत्रांक 1/379/बि०वि०वि० समिति/10–स्मा०–67, दिनांक 13 अप्रील, 2016 द्वारा सूचित किया गया है कि स्मारक का भवन सुरक्षित तथा दर्शनीय स्थिति में है। मकबरे के तालाब एवं उसके चारों तरफ नाले की सफाई एवं मरम्मत कार्य समय–समय पर किया जाता है। परन्तु तालाब के निरन्तर स्वच्छ बने रहने के लिये यह अतिआवश्यक है कि अर्न्तवाही एवं वर्हिवाही नहर में जलप्रवाह निर्वाध रहे ताकि तत्कालीन जलतन्त्र पुनर्जीवित हो सकें।

अधीक्षण पुरातत्वविद् द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि स्मारक की सीमा के चारों ओर शौच तथा अन्य प्रकार की गंदगी का प्रवाह स्मारक की ओर न हो यह सुनिश्चित करना नगर परिषद् एवं स्थानीय जिला परिषद् के कार्य क्षेत्र में है।

(3) भारत सरकार के सुरक्षित स्मारक होने के कारण इस स्थल के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम के चारों तरफ फैली गंदगी को हटाने एवं गंदगी फैलने से रोकने तथा मकबरे के तालाब के अर्न्तवाही एवं वर्हिवाही नहर में निरन्तर जलप्रवाह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिये जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सासाराम से विभागीय पत्रांक 155, दिनांक 13 मई, 2016 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

चिकित्सक की पदस्थापन

द–48. मो० नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं रहने के कारण मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के स्वीकृत पद के अनुरूप पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। पदस्थापन मार्च माह में कर दिया जायेगा।

समस्या से मुक्ति

पथ–44. मो० नवाज आलम—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा शहर में बढ़ते यातायात के कारण प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आरा शहर के उत्तरी छोर पर धरहरा से लेकर चन्दवा मुहल्ले तक गांगी नदी पर बाँध बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाँध को चौड़ीकरण करते हुये पक्की सड़क बनवाकर आरा शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गांगी नदी के बाढ़ से आरा शहर की सुरक्षा हेतु जमीरा हॉल्ट से ज्ञानपुर तक गांगी नदी के बाँयें तरफ जमीरा–ज्ञानपुर तटबंध है जिसकी लंबाई 5.79 कि०मी० है तथा चन्दवा रेलवे हॉल्ट से ज्ञानपुर तक गांगी नदी के दाँयें तरफ आरा शहर सुरक्षा तटबंध है जिसकी लम्बाई 7.67 कि०मी० है। प्रश्नगत दोनों स्थल इसी बाँध के पास अवस्थित है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित तटबंध आरा शहर को गांगी नदी में आने वाले बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्मित है तथा गांगी नदी के जलश्राव के अनुसार बाँध की चौड़ाई निर्धारित है। तटबंध पर निर्मित सड़क का उपयोग तटबंध निरीक्षण हेतु किया जाता है। यह सड़क आम जनता के आवागमन हेतु नहीं है। अतः इसके चौड़ीकरण एवं इसपर पक्की सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जल–जमाव से मुक्ति

ग्राम्य–116. मो० नवाज आलम—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा सदर में वार्ड नं०–34 रघुटोला(धनपुरा) में गांगी नदी पर बाँध बन जाने से गाँव के दक्षिणी भाग में बारहों महीने जल–जमाव रहता है जिससे सैकड़ों एकड़ फसल हर वर्ष बर्बाद हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव को जल–जमाव से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि रघु टोला गांगी नदी के जमीरा–ज्ञानपुर तटबंध के कि०मी० 5.50 के निकट कन्ट्री साईड में बसा हुआ है। गाँव के ठीक सामने तटबंध में स्लूईस गेट निर्मित है, जो कार्यरत है। स्थल के निरीक्षण से पता चलता है कि बाढ़ के समय नदी में जल स्तर बढ़ने के साथ–साथ जब अधिक वर्षा होती है तब आंशिक रूप से कुछ समय तक जल–जमाव की समस्या होती है। नदी का जल स्तर नीचे होते ही कन्ट्री साईड का पानी स्लूईस गेट से नदी में निकल जाता है। जल–जमाव की समस्या के निराकरण हेतु ही यहाँ स्लूईस गेट निर्मित है।

जर्जर तार बदलना

य–1. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चंपारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के सब–स्टेशन से मागलपुर गुदरिया

शिवराजपुर, मंगलपुर काला, श्यामपुर कोतरहा, उत्तर तेलहुआ, दक्षिण तेलहुआ समेत 25 गाँवों की ओर जानेवाले 11000 वोल्टेज की तार काफी जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार जर्जर तार को कबतक बदलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—प्रश्न वर्णित गाँवों से गुजरने वाली 11000 वोल्टेज की जर्जर तार को बदलने का कार्य स्पेशल प्लान (BRGF) फेज–2 योजना के तहत किया जाना है। यह कार्य मेसर्स विन्ध्य टेली लिंक लिमिटेड को आवंटित है तथा इस कार्य को फरवरी, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

खा–6. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के सभी प्रखंडों में वर्ष 2015 के अक्टूबर से दिसम्बर महीनों का वितरण अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खाद्यान्न का वितरण कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सभी प्रखंडों के सभी जन–वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा माह अक्टूबर, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक का उठाव एवं वितरण किया जा चुका है।

खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाना

खा–7. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन एवं बैरिया प्रखंड में 65 प्रतिशत आबादी खाद्य सुरक्षा अधिकार से अभीतक वंचित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में सामाजिक आर्थिक जनगणना में काफी गड़बड़ियाँ होने के कारण लगभग 65 प्रतिशत लोग इसका शिकार हुये है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में सामाजिक आर्थिक जनगणना में सुधार कर वास्तविक गरीब एवं असहाय लाभुकों को खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नौतन एवं बैरिया प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आच्छादित आबादी की विवरणी निम्न प्रकार है:–

प्रखंड का नाम	वर्ष 2011 की जनसंख्या	रा०खा०सु० के तहत आच्छादित जनसंख्या			प्रतिशत
		पी०एच०एच०	अन्त्योदय	कुल	
नौतन	233575	162828	25074	187902	80.446
बैरिया	206098	174309	23323	197632	95.892

(2) सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आलोक में नौतन प्रखंड में 80.446 प्रतिशत एवं बैरिया प्रखंड में 95.892 प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित है।

विभागीय पत्रांक 1316, दिनांक 23 फरवरी, 2016 के आलोक में राशन कार्ड से संबंधित त्रुटिया के निराकरण एवं वंचित पात्र लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित कराने हेतु भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कार्रवाई करना

द–227. श्री नारायण प्रसाद—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय सदर अस्पताल में पदस्थापित उपाधीक्षक ने अपने शपथ–पत्र में अपना घर पटना जिला दिखाकर बेगूसराय सदर अस्पताल में अपना पदस्थापन कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनका घर बेगूसराय में है और अस्पताल के बगल में ही इन्होंने अपना निजी डिस्पेंसरी बना लिया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय सदर अस्पताल के सिविल सर्जन की अवकाश अवधि (18 अक्टूबर, 2015) में उन्होने प्रभारी सिविल सर्जन के रूप में न केवल स्वास्थ्य कर्मचारियों का धड़ल्ले से स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया बल्कि 15 पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त किया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके द्वारा गलत शपथ–पत्र ट्रांसफर पोस्टिंग एवं बहाली में अपने अधिकार से भिन्न कार्य का अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये इनके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनायी गयी वरीयता सूची में उनका गृह जिला पटना है।

(2) सदर अस्पताल, बेगूसराय से लगभग एक किलो मीटर की दूरी पर इनकी सेवानिवृत्त चिकित्सक पत्नी का क्लिनिक है, जिसमें डॉ० शर्मा का भी बोर्ड लगा हुआ है। ड्यूटी के दौरान इनके विरुद्ध निजी प्रैक्टिस करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

(3) अस्वीकारात्मक है।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बैंक की शाखा खोलना

परि–21. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत की जनसंख्या 30,000 (तीस हजार) से ज्यादा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगर पंचायत के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, परन्तु इन सभी बैंकों में खाताधारकों की भीड़ लगी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नगर पंचायत में एक

अतिरिक्त बैंक शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2001 जनगणना के अनुसार बारूराज (मोतीपुर) शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 21,957 है।

(2) अग्रणी जिला प्रबंधक, मुजफ्फरपुर से प्राप्त सूचनानुसार नगर पंचायत मोतीपुर अंतर्गत (1) भारतीय स्टेट बैंक (2) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (3) बैंक ऑफ इंडिया (4) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं (5) जिला सहकारिता बैंक की शाखा उपलब्ध है।

(3) आर०बी०आई० के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंक का ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने हेतु एस०एल०बी०सी० के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

प्रा–8. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघल बैंक प्रखंड जिला मुख्यालय से पचास कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है, जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं रहने से छात्र/छात्रा को तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार दिघल बैंक प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सुशासन कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जानी है।

किशनगंज जिले में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक वि० प्रा० (II) पो०–07/2013/2927, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के द्वारा जिलाधिकारी, किशनगंज से भूमि हस्तांतरण के लिये अनुरोध किया जा चुका है। भूमि हस्तांतरण के उपरान्त संस्थान प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज के नेजागछ में एक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की जा रही है जिसका भवन निर्माणाधीन है।

किशनगंज जिले में अन्यत्र कोई राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रस्तावित नहीं है।

राशन कार्ड मुहैया कराना

खा–36. श्री नीरज कुमार सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत के वार्ड नं०–13 में करीबन 80–85 महादलित परिवारों को राशन कार्ड निर्गत नहीं करने के कारण इनलोगों को अन्त्योदय, अन्नपूर्णा इत्यादि योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो सका है, जिसके चलते उक्त परिवारों के समक्ष भूखमरी की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महादलित परिवारों को कबतक राशन कार्ड मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के बाद प्राप्त डाटा के आधार पर पात्र परिवारों की राशन कार्ड तैयार करने हेतु NIC के द्वारा सूची उपलब्ध कराया गया। उक्त सूची के अनुसार कुल 3,84,856 राशन कार्ड छपाई कराकर पात्र परिवारों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से वितरण कराया गया।

उल्लेखनीय है कि मामला प्रकाश में आने के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज द्वारा जाँच प्रतिवेदन किया गया कि 80–85 परिवार नहीं बल्कि कुल 48 परिवार पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के हैं जिन्हें राशन कार्ड मिलना चाहिये था। इस संबंध में कार्रवाई करते हुये राशन कार्ड का वितरण 15 दिनों के अन्दर कर दी जा रही है। जिले में अबतक भूखमरी संबंधी प्रतिवेदन और न ही मामला अबतक प्रकाश में आया है। भूखमरी की स्थिति में प्रत्येक पंचायत में अन्न कलश योजना के तहत दो क्वींटल अनाज चक्रीय रूप से सुरक्षित है। जिसके व्ययगत हाने की सूचना भी अबतक प्राप्त नहीं है।

आयोग का अध्यक्ष बनाने का औचित्य

खा–30. श्री नन्द किशोर यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं बिहार राज्य आयोग नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, परन्तु 1 सितम्बर, 2015 को उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष मतदाता सूची में अंकित है, यदि हाँ, तो अर्हता नहीं रखने वाले व्यक्ति का आयोग का अध्यक्ष बनाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में जाँचोपरांत बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के तहत विभागीय अधिसूचना सं० 1559, दिनांक 2 मार्च, 2016 के तहत अध्यक्ष, डॉ० अस्मतुल्ला बुखारी को पदमुक्त कर दिया गया है।

चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति

द–133. श्री नन्द किशोर यादव—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना सिटी स्थित श्री गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल जिसमें चिकित्सकों के 32 पद स्वीकृत है के विरुद्ध मात्र 13 चिकित्सक पदस्थापित रहने के कारण स्थानीय नागरिकों को चिकित्सकीय कार्यों में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अस्पताल में चिकित्सकों के 32 स्वीकृत पद पर प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक नहीं है।

- गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी में चिकित्सकों का कुल बत्तीस पद स्वीकृत है।
- उक्त अस्पताल में कुल इक्कीस चिकित्सक कार्यरत हैं।
- बिहार लोक सेवा आयोग से लगभग दो हजार सामान्य चिकित्सकों एवं लगभग छः सौ

विशेषज्ञ चिकित्सक का अनुशंसा प्राप्त है।

आवश्यकतानुसार चिकित्सकों का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

पी०एफ० का भुगतान

द–236. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा (102) पर चालक को 8,000 रुपया और तकनीशियन को 8,500 रुपया मानदेय पर रखकर डॉ० जैन विडियो ऑन व्हीलस कम्पनी से सरकार अनुबंधित कर राज्य के लगभग 2,930 एम्बुलेंस कर्मियों को नियुक्त किया है तथा सरकार 1 लाख 40 हजार रुपया प्रति एम्बुलेंस कम्पनी के माध्यम से खर्च कर रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एम्बुलेंस चालक एवं तकनीशियन का सितम्बर, 2013 से फरवरी, 2014 तक मानदेय एवं पी०एफ० का भुगतान कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एम्बुलेंस चालक एवं तकनीशियन के मानदेय एवं पी०एफ० का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा वर्ष 2011 में मेसर्स डॉ० जैन विडियो ऑन व्हील्स लिमिटेड, नई दिल्ली से एम्बुलेंस के परिचालन हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। अनुबंध में सेवा प्रदाता को सभी उपलब्ध कराये गये एम्बुलेंस को चौबीस घंटा परिचालित किया जाना था।

यह अनुबंध सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 6 फरवरी, 2014 के बाद विस्तार नहीं किया गया। उक्त किये गये अनुबंध के अनुरूप मानव संसाधन का ब्यौरा सेवा प्रदाता द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(2) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पास इसका प्रमाणिक आँकड़ा नहीं है क्योंकि यह एम्बुलेंस सेवा परिचालन हेतु आवश्यक कर्मियों की संख्या का निर्धारण, नियोजन तथा देयताओं का निर्धारण सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी थी। सभी प्रयुक्त मानव संसाधन मेसर्स डॉ० जैन विडियो ऑन व्हील्स कम्पनी के कर्मी थे।

(3) उक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

माप–तौल की समस्या का समाधान

खा–45. श्री राजू तिवारी—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज प्रखंड अन्तर्गत पीपरा पंचायत, संग्रामपुर प्रखंड अन्तर्गत दक्षिणी बरियारपुर एवं पहाड़पुर प्रखंड अन्तर्गत सोनवल पंचायत के डीलरों के द्वारा जन–वितरण प्रणाली के तहत किरासन मिट्टी तेल वितरण में उपभोक्ताओं से माप–तौल में भारी हेरा–फेरी एवं कालाबाजारी की शिकायत संबंधित पदाधिकारी को समय–समय पर की गयी है, परन्तु माप–तौल की समस्या बरकरार है, यदि हाँ, तो तेल वितरण नोक या ऑटोमेटिक नोजल प्रणाली द्वारा

नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। संगत विषय की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पहाड़पुर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, संग्रामपुर तथा अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज द्वारा क्रमशः सोनवल, दक्षिणी बरियरिया, पिपरा पंचायत में करायी गयी। वितरण की जाँच के क्रम में स्थानीय उपभोक्ताओं एवं पंचायत निगरानी समिति के सदस्यों के अनुसार उपभोक्ता को निर्धारित मात्रा में किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है।

यह किरासन तेल थोक विक्रेता से संबंधित है। एक थोक किरासन तेल विक्रेता मे० फौजी ऑयल, हरसिद्धि द्वारा नोजल सिस्टम से किरासन तेल की आपूर्ति जन–वितरण प्रणाली विक्रेताओं को की जाती है। शेष दो किरासन तेल थोक विक्रेता मे० उपेन्द्र कुमार मिश्र, अरेराज तथा मे० माँ सुधरा ऑयल, पहाड़पुर को नोजल सिस्टम लगाने का निर्देश दिया गया।

चिकित्सकों का पदस्थापन

द–279. **श्री राजू तिवारी**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मलाही एवं संग्रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के स्वीकृत पद क्रमशः 03–03 है, जिसके विरुद्ध क्रमशः 01 एवं 02 चिकित्सक पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों का अभाव रहने के कारण मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) सामान्य चिकित्सकों का दो हजार, नौ सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से लगभग एक हजार नौ सौ पचास का अनुशंसा प्राप्त है।

• विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगभग दो हजार, सात सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से छः सौ का अनुशंसा प्राप्त है।

• उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

डीलरों पर कार्रवाई

खा–33. **डॉ० रामानुज प्रसाद**—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जन–वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत प्रति उपभोक्ताओं को 2.75 लीटर किरोसिन, 20 किलो चावल तथा 15 किलो गेहूँ, सात यूनिट पर सस्ते दामों पर प्रत्येक

महीने उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डीलरों द्वारा 2.75 लीटर किरोसिन की जगह 2.50 लीटर किरोसिन एवं 35 किलो अनाज की जगह मात्र 28 किलो अनाज ही दिया जाता है तथा निर्धारित राशि से अधिक राशि की वसूली भी उपभोक्ताओं से की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को सही वजन एवं निर्धारित राशि पर ही अनाज उपलब्ध कराने एवं दोषी डीलरों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। विभागीय प्रावधान के अनुसार जन–वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से बी०पी०एल० अन्त्योदय अन्न योजना एवं ए०पी०एल० परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार 2.750 लीटर एवं शहरी क्षेत्र में 2.250 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। पी०एच०एच० योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य (यूनिट) 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल कुल–5 किलोग्राम खाद्यान्न तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार 14 किलोग्राम गेहूँ एवं 21 किलोग्राम चावल कुल–35 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत गेहूँ 2 रु० प्रति किलोग्राम एवं चावल 3 रु० प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति करवाई जाती है।

(2) अस्वीकारात्मक है। विभागीय प्रावधान के आलोक में कंडिका (1) के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति निर्धारित मात्रा एवं दर पर करवाई की जाती है। इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त जन–वितरण प्रणाली बिक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(3) कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कर्मियों का पदस्थापन

द–117. डॉ० रामानुज प्रसाद—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखण्ड के अकिलपुर पंचायत स्थित प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र का भवन विगत 5 वर्षों से बना हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माणोपरान्त आजतक चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की पदस्थापना नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) उप–स्वास्थ्य केन्द्र, अकिलपुर में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।

- उप–स्वास्थ्य केन्द्र में दो ए०एन०एम० का पद स्वीकृत है।
- उप–स्वास्थ्य केन्द्र में दो ए०एन०एम० कार्यरत हैं।

चीनी मिल खोलना

ईख–13. श्री रामविलास पासवान—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र में पीरपैंती प्रखंड एवं कहलगाँव प्रखंड में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जहाँ एक भी चीनी मिल नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में चीनी मिल खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती एवं कहलगाँव क्षेत्र के कुछ किसान मुख्यतः खाण्डसारी/गुड़ निर्माण हेतु गन्ने की खेती करते हैं।

सरकार का अपने स्तर से राज्य के किसी भी स्थान पर नई चीनी मिल स्थापित करने की योजना नहीं है। राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों एवं मजदूरों के हित में सरकार द्वारा राज्य में निजी/सार्वजनिक/सहकारिता क्षेत्रों के माध्यम से चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रोत्साहन पैकेज–2006 की घोषणा की गयी थी, जिसे औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के तर्ज पर और आकर्षक एवं प्रभावकारी बनाने हेतु प्रोत्साहन पैकेज–2014 की घोषणा की गयी है।

यदि राज्य की प्रोत्साहन नीति से प्रेरित होकर कहलगाँव एवं पीरपैंती क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना को कोई प्रस्ताव होता है तो राज्य सरकार द्वारा वैधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निवेशक को आवश्यक सहायोग उपलब्ध करवाया जायेगा।

जलापूर्ति सुनिश्चित कराना

टन–51. श्री राम विलास पासवान—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड में बटेश्वरस्थान एवं भदेश्वर पहाड़ पर्यटक स्थल है, जहाँ शिवरात्रि एवं माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 10 हजार से अधिक लोग पूजा करते हैं तथा प्रत्येक सोमवार को 1 हजार से अधिक यात्री राज्य तथा राज्य से बाहर से आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त यात्रियों को वर्णित स्थल पर पूजा अर्चना के पश्चात् न तो ठहरने के लिये जगह है और न ही पेयजल आदि की व्यवस्था है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ;

(2) एवं (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यात्रियों के हित में उक्त वर्णित स्थल पर धर्मशाला, पंडाल एवं पेय जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) बटेश्वर स्थान में एक सामुदायिक भवन तथा 2 यात्री शेड बने हैं तथा दो चापाकल उपलब्ध है। भदेश्वर पहाड़ पर एक यात्री शेड एवं एक चापाकल उपलब्ध है।

महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–120. श्री राजकुमार राय—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विथान में महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं को प्रसव करवाने में परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों (पी०एच०सी०) पर महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक नहीं है।

(3) • बिहार लोक सेवा आयोग से लगभग दो हजार सामान्य चिकित्सकों एवं लगभग छः सौ विशेषज्ञ चिकित्सक का अनुशंसा प्राप्त है।

• चिकित्सकों का पदस्थापन अगले दो माह में कर दिया जायेगा।

आवेदनों का निष्पादन

खा–27. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009 में बी०पी०एल० सूची में हर वर्ष मई–जून तक दर्ज करने हेतु निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय के भगवानपुर, मंसूरचक, बछवाड़ा प्रखंड के 41 पंचायत के 5 हजार आवेदन एक वर्ष से प्रखंड एवं अनुमंडल में लंबित है, जिससे गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त तीनों प्रखंडों के लंबित आवेदन का निष्पादन कबतक कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) अस्वीकारात्मक। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुरूप भगवानपुर, मंसूरचक एवं बछवाड़ा प्रखंड से नीचे वर्णित अनुरूप प्रथम एवं द्वितीय चरण में दावा/आपत्ति के तहत आवेदन–पत्र प्राप्त हुये है, जिसका निस्तार जाँचोपरान्त किया जा चुका है। आवेदन–पत्र लंबित नहीं है।खाद्यान्न मिल रहा है।

क्र०सं०	प्रखंड	प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन पत्र	द्वितीय चरण में प्राप्त आवेदन पत्र	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	जाँचोपरांत	
					स्वीकृत आवेदन पत्र	अस्वीकृत आवेदन पत्र
1	भगवानपुर	3664	4175	7839	3358	4481
2	बछवाड़ा	3673	7181	10854	3960	6894
3	मंसूरचक	2930	3994	6924	3696	3228

इन प्रखंडों में लाभार्थियों (अन्त्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त) की संख्या निम्नवत् है:–

क्र०	प्रखंड का नाम	अन्त्योदय	पूर्विकाता प्राप्त
1	भगवानपुर	4484	136092
2	बछवाड़ा	4289	151497
3	मंसूरचक	2151	65629

(3) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अनाज की आपूर्ति

खा–28. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत भगवानपुर प्रखंड के किरतपुर पंचायत के वार्ड 11, 12 एवं 13 के बी०पी०एल० धारियों को खाद्यान्न सुरक्षा के तहत अनाज नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तीनों वार्डों के बी०पी०एल० धारियों को अनाज आपूर्ति करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। बी०पी०एल० (लाल कार्ड) कार्डधारियों को खाद्यान्न मुहैया कराने का प्रावधान समाप्त हो चुका है। सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, 2011 के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भगवानपुर प्रखंड के किरतपुर पंचायत के लाभुकों के बीच खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्तमान में बी०पी०एल० सूची के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है। पी०एच०एच० एवं अन्त्योदय योजना अन्तर्गत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे पात्र लाभुक जिनको कतिपय कारणों से पी०एच०एच० का लाभ नहीं दिया जा रहा है, विभागीय पत्रांक 1316 /खाद्य, दिनांक 23 फरवरी, 2016 में निहित प्रावधान के आलोक में जाँचोपरांत इस योजनान्तर्गत शामिल करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

वैकल्पिक व्यवस्था करना

खा–44. श्री राघव शरण पाण्डेय—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्व में अनियमितता बरतने वाले पैक्सों को धान के क्रय हेतु इस वर्ष राशि नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ के किसानों से धान खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत खरीफ विपणन मौसम 2015–16 अंतर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति हेतु विस्तृत कार्य योजना एवं दिशा–निर्देश मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 9004, दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 एवं प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7229, दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें क्रमशः कंडिका–2 के बिन्दु ix एवं कंडिका–1 के बिन्दु viii में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य में गठित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगे। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों, वित्तीय

दृष्टिकोण से डिफॉल्टर पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील होने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था रहेगी, ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही डिफॉल्टर पैक्स बकाये राशि जमा करने के उपरांत क्रय केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम हो सकेंगे, जिसके चयन की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की होगी।

उक्त परिपत्रों के आलोक में अनियमितता बरतने वाले पैक्सों को धान के क्रय हेतु कैश–क्रेडिट ऋण की राशि उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध है। साथ ही अनियमितता बरतने वाले पैक्सों के किसानों को धान बिक्री करने में कोई असुविधा नहीं हो उक्त कार्य हेतु उन्हें बगल के पैक्स को धान बिक्री करने हेतु सुविधा प्रदान की गई है। इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 1562, दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा भी विस्तृत निदेश दिया गया है।

महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–60. **श्री रमेश ऋषिदेव**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखण्ड प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक नहीं रहने के कारण महिला रोगियों को इलाज कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कबतक महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। पदस्थापन मार्च माह में कर दिया जायेगा।

महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–61. **श्री रमेश ऋषिदेव**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक नहीं रहने के कारण महिला रोगियों को इलाज कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कबतक महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। पदस्थापन मार्च माह में कर दिया जायेगा।

निर्माण कार्य की जाँच

लघु–54. **श्री राजेश कुमार**—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड देव के हरियाही नहर के बटाने राइट वितरणी नहर का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार

उक्त निर्माण कार्य की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि हरियाही (बटाने) जलाशय योजना बिहार एवं झारखंड राज्य की संयुक्त सिंचाई योजना है। इस योजना के अंतर्गत बटाने दाँया मुख्य नहर की कुल लंबाई 31.46 कि०मी० है, जिसमें 0.00 कि०मी० से 13.84 कि०मी० की दूरी झारखंड राज्य में एवं शेष 13.84 कि०मी० से 31.46 कि०मी० (17.62 कि०मी०) की दूरी बिहार राज्य के अंतर्गत है। बिहार भाग में बटाने दाँया मुख्य नहर से निःसृत नहर प्रणालियों में मिट्टी कार्य एवं संरचनाओं का निर्माण कार्य औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखण्ड में चल रहा है। कार्य विशिष्टी एवं प्राक्कलन के अनुरूप कराया जा रहा है, जिसकी जाँच समय–समय पर विभाग के अधीन कार्यरत गुण नियंत्रण प्रमंडल के द्वारा किया जाता है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 7 सितम्बर, 2016 है तथा इस निर्धारित अवधि में प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता एवं विशिष्टी के अनुसार कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

टन–56. श्री राजेश कुमार—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के गजनाधाम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ है, जहाँ छठ पूजा एवं अन्य महोत्सवों पर दूर दराज से लोग पूजा–अर्चना करने आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धाम पर यात्रियों के लिये शेड, शौचालय एवं पीने हेतु शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पूजा–अर्चना करने आये यात्रियों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित सुविधा उपलब्ध कराते हुये उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) अस्वीकारात्मक।

(3) गजनाधाम में पीने के पानी हेतु चापाकल एवं कुआँ की व्यवस्था है।

राज्य के विभिन्न जिलों में पर्यटक स्थल अवस्थित है, जिनके विकास हेतु विभाग स्तर पर पर्यटन रोड मैप का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से पर्यटकीय स्थलों के विकास की योजना है।

चिकित्सकों का पदस्थापन

द–127. श्री राजेश कुमार—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा रेफरल अस्पताल में स्वीकृत पद के अनुरूप महिला एवं पुरुष चिकित्सक विगत 5 वर्षों से पदस्थापित नहीं है, जिससे आम जनता को इलाज मे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कुटुम्बा रेफरल अस्पताल में कबतक स्वीकृत पदों

के अनुरूप चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—• रेफरल अस्पताल, कुटुम्बा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुटुम्बा एक ही भवन में संचालित है।

• दोनों संस्थान को मिलाकर चिकित्सकों का सात पद स्वीकृत है।

• वहाँ पर दो नियमित एवं चार संविदा चिकित्सक कार्यरत हैं।

• आमजनों को चिकित्सीय सेवा सप्ताह के सातों दिनों में चौबीस घंटे उपलब्ध कराई जा रही है।

• आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकों का पदस्थापन अगले दो माह में कर दिया जायेगा।

सिंचाई सुविधा बहाल करना

श्र–60. श्री रामविशुन सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बरनौंव, हरिगाँव आयर, कोवरा, भभिनांव, हरदिया, उत्तरवारी जंगल, चकवा, शिवपुर, उत्तरदाहा तथा हेतमपुर पंचायत में सोन नहर की शाखा में पानी कम रहने के कारण पानी नहीं जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पानी नहीं पहुँचने के कारण 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित है एवं किसान के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी पंचायतों के सभी मौजों में सोन नहर से पानी उपलब्ध कराकर सिंचाई सुविधा बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) (2) एवं (3) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बरनौंव, हरिगाँव आयर, कोवरा, भभिनांव, हरदिया आदि गाँव का पटवन सोन नहर प्रणाली के पटेया वितरणी से होता है, जिसकी लम्बाई 34.40 कि०मी० तथा रूपांकित जलश्राव 628 क्यूसेक है। इसी प्रकार उत्तरवारी जंगल, चकवा, शिवपुर, उत्तरदाहा तथा हेतमपुर पंचायत का पटवन बिहिया शाखा नहर से जिसकी लम्बाई 49.6 कि०मी० तथा रूपांकित जलश्राव 1602 क्यूसेक एवं इससे निःसृत हेतमपुर वितरणी से जिसकी लम्बाई 14.40 कि०मी० तथा रूपांकित जलश्राव 68 क्यूसेक होता है। खरीफ 2015 में नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुँचा कर पूर्ण सिंचाई क्षमता का उपयोग कर पटवन कराया गया है। परन्तु वर्ष 2015 में सोन जलग्रहण क्षेत्र में वर्षापात कम होने के कारण तथा बराज में पानी की कमी कारण रब्बी 2015–16 में पटवन अंतिम छोर तक नहीं किया जा सका है। अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

चिकित्सक का प्रतिनियुक्ति

द–89. श्री रामविशुन सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलानतर्गत जगदीशपुर अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर तथा पीरो अनुमंडल अस्पताल में महिला चिकित्सक एवं हड्डी रोग के चिकित्सक

नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिला चिकित्सक नहीं रहने से महिला को प्रसव एवं गम्भीर रूप से घायल हड्डी रोगी को इलाज कराने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सभी अस्पतालों में महिला एवं हड्डी रोग के चिकित्सक का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। पीरो में अनुमंडल अस्पताल नहीं है। पीरो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त है। चिकित्सकों का पदस्थापन अगले दो माह में कर दिया जायेगा।

बैंक का स्थानांतरण

ग–8. डॉ० रंजू गीता—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन बसहा ग्राम के नाम से जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है, वह बाजपट्टी प्रखंड मुख्यालय में है, जो बसहा ग्राम से 7 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इतनी दूरी पर शाखा अवस्थित होने के कारण इस पंचायत एवं अगल–बगल के आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पडता है, जबकि वह गाँव बथनाहा, डुमरा, बाजपट्टी एवं सुरसंड प्रखंड के जानेवाली मार्ग पर स्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित भारतीय स्टेट बैंक के बाजपट्टी से मधुबन बसहा ग्राम में स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय स्टेट बैंक, मधुबन बसहा शाखा, बाजपट्टी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थापनाकाल से ही कार्यरत है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त शाखा बसहा ग्राम से 6 किलो मीटर एवं मधुबन ग्राम से 3 किलो मीटर पर अवस्थित है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि मधुबन बसहा पूर्वी ग्राम पंचायत की आबादी 8532 है। ग्राम पंचायत मधुबन बसहा पूर्वी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा नियुक्त एक–एक बी०सी०ए० कार्यरत है।

(3) एस०एल०बी०सी० से प्राप्त सूचनानुसार भारतीय स्टेट बैंक के मधुबन बसहा शाखा जो बाजपट्टी में है का स्थानांतरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बैंक की शाखा खोलना

परि–14. डॉ० रंजू गीता—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के रसलपुर एवं महिसोथा ग्रामों में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है, जबकि इन गाँवों की आबादी 6 हजार से ज्यादा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर कबतक बैंकों की शाखा खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रसलपुर गाँव की आबादी 4,836 है, जो बाजपट्टी प्रखंड में आता है। इसी प्रकार मदसुदनपुर डुमरी महिसोथा गाँव की आबादी 8,861 है जो बोखड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। रसलपुर ग्राम में भारतीय स्टेट बैंक एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ग्राहक सुविधा केन्द्र अवस्थित है। बी०सी०ए० के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गाँवों में 31 मार्च, 2017 तक ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पुल का निर्माण

ग्राम्य–162. श्री राम सेवक सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड के ग्राम–बैरागीटोला देवी स्थान से सोनगढ़वा जानेवाली पथ में दुलारपुर वितरणी नहर में अभीतक पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर पुल का निर्माण नहीं होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के ग्राम–बैरागीटोला देवी स्थान से सोनगढ़वा जानेवाली ब्रीक सोलिंग सड़क के रेखांकण पर दुलारपुर वितरणी के 48 आर०डी० पर सड़क पुल निर्मित नहीं है, परन्तु इसके निकट अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में क्रमशः 45 आर०डी० एवं 50 आर०डी० पर एक पथीय सेतु पूर्व से ही निर्मित है। इन पूर्व निर्मित पुलों के बीच की दूरी 1.52 कि०मी० है।

(2) उक्त स्थान के निकट अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में क्रमशः 45 आर०डी० एवं 50 आर०डी० पर एक पथीय सेतु पूर्व से ही निर्मित है, जिसका आवागमन हेतु उपयोग किया जाता है।

(3) दुलारपुर वितरणी का रूपांकित जलश्राव 130 क्यूसेक है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार 150 क्यूसेक जलश्राव वाली नहरों पर अवस्थित कुल पुलों की औसतन दूरी 1.2 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिये। अतः दुलारपुर वितरणी के 48 आर०डी० पर नये पुल का निर्माण अनुमान्य नहीं है।

डीलरों पर कार्रवाई

खा–38. श्री रत्नेश सादा—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सोनवर्षा, पतरघट, बनमा ईटहरी प्रखण्डों में बी०पी०एल० परिवारों के सूची के आधार पर खाद्य सामग्री का उठाव किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों प्रखण्डों में सूची के आधार पर खाद्य सामग्री डीलरों द्वारा उठाव करने के बाद वितरित नहीं किया जाता है, जिससे बी०पी०एल० परिवारों को किरासन तेल एवं खाद्य सामग्री की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सूची के आधार पर तीनों प्रखंडों में खाद्यान्न सामग्री एवं किरासन तेल वितरित कराने एवं अनियमितता बरतने वाले डीलरों पर कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में बी०पी०एल० सूची के आधार पर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है। खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण SECC जनगणना के आधार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के मार्गदर्शी सिद्धांत के अन्तर्गत पूर्वीकर्ता प्राप्त पात्र लाभुकों हेतु प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जाता है।

(2) अस्वीकारात्मक है। नियमित रूप से प्रत्येक माह खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण राशन/किरासन कूपन के आधार पर किया जा रहा है।

(3) अस्वीकारात्मक है। अनियमितता बरतने वाले डीलरों पर जाँचोपरान्त विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

चिकित्सकों का पदस्थापन

द–7. श्री राम नारायण मंडल—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिले के बाँका सदर अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की संख्या 36 (छत्तीस) है जिसके विरुद्ध मात्र 9(नौ) चिकित्सकों का पदस्थापन विभाग द्वारा किया गया, जिससे मरीजों को चिकित्सा कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाँका सदर अस्पताल में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। आवश्यकतानुसार पदस्थापन मार्च, माह में कर दिया जायेगा।

(2) उपर्युक्त खण्ड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

चिकित्सकों का पदस्थापन

द–8. श्री राम नारायण मंडल—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिले के बाँका सदर अस्पताल में आँख, नाक एवं गला विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के मरीजों को उक्त बीमारी के इलाज हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में आँख, नाक एवं गला रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बाँका सदर अस्पताल में नाक एवं गला विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं। नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन अगले दो माह में कर दिया जायेगा।

(2) उपर्युक्त खंड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

निबंधन कार्यालय खोलना

निबंध–3. श्री शशिभूषण हजारी—क्या मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बिरौल अनुमंडल में 6 लाख की आबादी के बावजूद यहाँ निबंधन कार्यालय नहीं रहने के कारण आम जनता को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त निबंधन कार्यालय, बिरौल में कबतक खोलने का का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बिरौल अनुमंडल में अवर निबंधन कार्यालय खोलने हेतु समाहर्ता–सह–जिला निबंधक, दरभंगा से विभागीय पत्रांक 5285, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समाहर्ता–सह–जिला निबंधक, दरभंगा से प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है।

बैंक की शाखा खोलना

परि–12. डॉ० शकील अहमद खाँ—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा प्रखंड के धपरसिया पंचायत के चौकी बाजार पर सरकारी बैंक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धपरसिया पंचायत के चौकी बाजार के आस–पास की आबादी पन्द्रह हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चौकी बाजार पर बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। तथ्य यह है कि चौकी ग्राम की आबादी 2001 के जनगणना के अनुसार 3,289 है एवं ग्राम पंचायत धपरसिया की आबादी 6,172 है। बी०सी०ए० के माध्यम से बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जा रही है।

आर०बी०आई० के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंक का ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने हेतु एस०एल०बी०सी० के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–67. डॉ० शकील अहमद खाँ—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला एम०बी०बी०एस० चिकित्सक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक नहीं रहने के कारण महिलाओं को स्त्रियों से संबंधित बिमारियों के इलाज कराने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। पदस्थापन मार्च, माह में कर दिया जायेगा।

विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराना

य–54. श्री शमीम अहमद—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के बंजरिया प्रखण्ड अन्तर्गत फुलवार उत्तरी पंचायत, फुलवार दक्षिणी पंचायत, रोहिनीया पंचायत, पचरूखा मध्य पंचायत, पचरूखा पश्चिमी पंचायत, जेनरवा पंचायत, सेमरा पंचायत के ग्राम–कपसंडी तथा ग्राम–भिसुआ में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण रूप से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नवर्णित गाँवों में कार्य हेतु योजना स्वीकृत है। मे० ई०एम०सी० लि० द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त पंचायत के सेमरा खस और फुलवार गाँव में पोल गाड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष पंचायतों में कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर अगस्त, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

कैनाल का निर्माण

लघु–72. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के डिहरी कर्मनाशा नदी पर हैवी River पम्प कैनाल 15 वर्षों से निर्माण हेतु लंबित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कैनाल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिला में निकृष ग्राम के समीप कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया जा रहा है। विस्तृत योजना प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर कार्यान्वयन कराने का लक्ष्य है।

बाँध का निर्माण

लघु–58. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के बक्सर विधान–सभा में अर्जुनपुर गाँव से बड़का गाँव तक एवं सेन्ट्रल जेल से श्मशान घाट तक गंगा नदी से कटाव हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गाँव को गंगा नदी के कटाव से बचाने के लिये बाँध का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि—

• बक्सर विधान सभा में अर्जुनपुर से बड़कागाँव के बीच गंगा नदी के दाँऐ किनारे पर बी०के०जी० तटबंध निर्मित है तथा गंगा नदी के कटाव से तटबंध एवं गाँव सुरक्षित है।

• बाढ़ 2015 अवधि में बक्सर विधान सभा में सेन्ट्रल जेल से श्मशान घाट के बीच गंगा नदी के किनारे पर आंशिक क्षरण हुआ है परन्तु स्थल पूरी तरह सुरक्षित है।

वर्तमान में यहाँ तटबंध बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

बाढ़ अवधि में कटाव की स्थिति परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाता है।

ट्रांसफॉर्मर लगाना

य–02. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के परसुरामपुर पंचायत के वार्ड

नं० 11 का ट्रांसफॉर्मर विगत 15 माह पूर्व जल गया है, यदि हाँ, तो परसुरामपुर पंचायत के वार्ड नं० 11 में अभीतक जले हुये ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड के परसुरामपुर पंचायत के वार्ड नं० 11 के जले ट्रांसफॉर्मर को अप्रैल, 2015 में बदल दिया गया है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

गन्ना का भुगतान

ईख–04. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014–15 में सिधवलिया सुगर मिल (गोपालगंज) द्वारा 10 करोड़ एवं सासामूसा सुगर मिल (गोपालगंज) द्वारा 8 करोड़ 54 लाख रुपये बकाया राशि का भुगतान गन्ना किसानों का भुगतान अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। पेराई सत्र 2014–15 में दिनांक 07 मार्च, 2016 तक सासामूसा एवं सिधवलिया चीनी मिल द्वारा किये गये ईख मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है:—

(आँकड़ा लाख रु० में)

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम।	कुल ईख मूल्य देय।	भुगतान की राशि।	अवशेष बची राशि।	भुगतान। (प्रतिशत)
1	सिधवलिया पेराई सत्र (2014–15)।	12770.71	12758.65	12.06	99.91
2	सासामूसा पेराई सत्र (2014–15)।	4516.04	3739.94	776.10	82.81

पेराई सत्र 2014–15 के शेष बकाये ईख मूल्य का भुगतान सिधवलिया चीनी मिल द्वारा किया जा रहा है।

पेराई सत्र 2014–15 के बकाये ईख मूल्य की नियमानुसार वसूली हेतु बिहार ईख अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधिक कार्रवाई की गयी है। उसके अन्तर्गत ईख पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा नीलाम–पत्रवाद दायर किये गये है, जो प्रक्रियाधीन है।

कार्रवाई करना

खा–08. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित शीर्षक "अनाज वितरण में गड़बड़ी के विरुद्ध में हंगामा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड परसौनी अन्तर्गत पंचायत मेलवार, परसौनी, खिरोधर, बेलसंड का भोरहाँ, पताही पैक्स और बेलसंड प्रखंड के बेलसंड नगर पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा अनाज वितरण में अनियमितता, कालाबाजारी, 20 किलोग्राम चावल के बदले 14 किलोग्राम चावल तथा 14 किलोग्राम गेहूँ के बदले मात्र 10 किलोग्राम गेहूँ तथा एक वर्ष में मात्र आठ माह ही अनाज वितरण के विरोध में सड़क घेराव किया गया था, यदि हाँ, तो क्या सरकार दोषी जन–वितरण दूकानदारों के विरुद्ध जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार के आलोक में बेलसण्ड एवं परसौनी प्रखंड के संबंधित पंचायत के जन–वितरण प्रणाली की दूकानों की जाँच करायी गयी है नगर पंचायत बेलसण्ड के जन–वितरण प्रणाली की दूकानों का भी निरीक्षण कराया गया है।

जाँच में अनियमितता पाये जाने के कारण श्री पारस नाथ पाण्डेय जन–वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इसी प्रकार परसौनी प्रखंड के गिसारा पंचायत के जन–वितरण प्रणाली विक्रेता श्री शिवजी साह की अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दी गई है। परसौनी प्रखंड का मैलवार एवं परसौनी, खिरोधर पंचायत एवं बेलसण्ड प्रखण्ड का भोरहाँ, पताही पैक्स का जाँच किया गया एवं सही पाया गया।

उल्लेखनीय है कि इस अनुमंडल क्षेत्र के जन–वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दूकान की जाँच सरकारी निदेशानुसार समय–समय पर की जाती है तथा दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

राशन कार्ड उपलब्ध कराना

खा–18. श्री सरोज यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा, कोइलवर, आरा प्रखंडों में 50 प्रतिशत परिवारों को राशन कार्ड नहीं दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में अभीतक 6 माह से राशन एवं किरासन का वितरण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वंचित परिवारों को राशन कार्ड देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत भोजपुर जिले में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में कुल 3,44,728 राशन कार्ड का मुद्रण कराया गया है जिसके विरुद्ध दोनों चरण में कुल 3,30,545 (95.89 प्रतिशत) राशन कार्ड का वितरण लाभुकों के बीच किया गया है।

(2) अस्वीकारात्मक। पात्र लाभुकों को निर्धारित मापदंड के अनुसार खाद्यान्न एवं किरासन तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

द–63. श्री सरफराज आलम—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकिहाट रेफरल अस्पताल में स्वीकृत पद रहने के बावजूद महिला चिकित्सक, सहायक चिकित्सकों, कर्मी एवं ए०एन०एम० के पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में प्रतिदिन 200–300 महिला मरीज इलाज कराने आती है, जिन्हें महिला चिकित्सक के अभाव में समुचित इलाज नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के रिक्त पदों को भरने के साथ–साथ महिला चिकित्सक की पदस्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हुआ है। पदस्थापन मार्च माह में कर दिया जायेगा।

ए०एन०एम० के सात हजार पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। जोकिहाट रेफरल अस्पताल में चिकित्सकीय इलाज किया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त खण्ड के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई

खा–15. श्री सुरेश कुमार शर्मा—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर के सभी वार्डों में पूर्व में निर्गत बी०पी०एल० परिवारों के लाल कार्ड की मान्यता समाप्त हो गई है तथा उसके स्थान पर खाद्य सुरक्षा कार्ड दी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी खाद्य सुरक्षा कार्ड के वितरण की जवाबदेही नगर निगम के कर्मचारियों को दी गई है परन्तु उक्त कार्ड का वितरण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तथा काफी अनियमितता की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुये वार्ड का सही ढंग से वितरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक। राज्य में 1 फरवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् पूर्विकताप्राप्त श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के पात्र लाभुकों को उनके अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कारण

बी०पी०एल० परिवारों के लाल कार्ड की मान्यता खाद्यान्न आवंटन हेतु समाप्त हो गयी है।

(2) अस्वीकारात्मक। यह सही है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहचान किये गये पात्र परिवारों के बीच राशन कार्ड का वितरण नगर निगम, मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, परन्तु यह सही नहीं है कि कार्ड का वितरण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। नगर निगम् मुजफ्फरपुर के कर्मचारियों द्वारा उचित पहचान के आलोक में वितरण किया गया है।

(3) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पोल सड़क किनारे लगाना

य–21. श्री सुरेश कुमार शर्मा—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर के अतिमहत्वपूर्ण पथ बटलर चौक से कलमबाग चौक होते हुये भाया नारायणपुर दिघड़ा राष्ट्रीय उच्च पथ 28 तक एवं बनारस बैंक चौक से पानी टंकी भाया हरिसभा चौक होते हुये कच्ची पक्की चौक तक पथ के चौड़ीकरण के कारण पुराने लगे सभी बिजली के पोल सड़क के मध्य में आ गये हैं, जिससे प्रायः जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों पथ के मध्य में आनेवाले पोल को सड़क के किनारे कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) मुजफ्फरपुर शहर के बटलर चौक से होते हुये भाया नारायणपुर दिघड़ा राष्ट्रीय उच्च पथ 28 तक एवं बनारस बैंक चौक से पानी टंकी भाया हरिसभा चौक होते हुये कच्ची पक्की चौक तक पथ के चौडीकरण के कारण पुराने लगे सभी बिजली पोल जो सडक के मध्य में आ गये हैं, उन्हें हटाने का काम पथ निर्माण विभाग RCD के द्वारा किया जा रहा है। यह काम तेजी से हो रहा है और फ्रेंचाईजी एस्सेल विद्युत विवरण कम्पनी, मुजफ्फरपुर के द्वारा RCD को पूर्ण सहयोग किया जा रहा है तथा कार्य का पर्यवेक्षण विद्युत् कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है।

राशन कूपन वितरण नहीं होने का औचित्य

खा–01. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा, बाँका, रोहतास, गया सहित राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के बीच शत–प्रतिशत राशन कूपन का वितरण अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। दरभंगा जिले में 95.91 प्रतिशत, बाँका जिले में 92 प्रतिशत, रोहतास जिले में 98.03 प्रतिशत एवं गया जिले में 95 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कूपनों का वितरण किया गया है पूरे राज्य में कूपन वितरण का औसत प्रतिशत 92.82 प्रतिशत् है।

कार्रवाई करना

ए–43. **श्री संजय सरावगी**—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सिक्यूरिटी एजेंसियों को पी०एस०ए०आर०आई० (प्राईवेट सिक्यूरिटी रेगुलेशन) ऐक्ट, 2006 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा लाइसेंस अवधि समाप्त होने पर लाइसेंस रिन्यूवल करने का भी प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2015 में 115 निजी सिक्यूरिटी एजेंसियों को गृह विभाग के द्वारा लाइसेंस दी गई थी, जिसमें मात्र 87 सिक्यूरिटी एजेंसी के पास ही लाइसेंस है, 28 निजी सिक्यूरिटी एजेंसी लाइसेंस का समय समाप्त होने के बाद भी संचालित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित 28 सिक्यूरिटी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। अधिनियम का सही नाम निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015 में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नियंत्री प्राधिकार द्वारा कुल 11 अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की गई है। बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली के प्रभाव में आने के पश्चात नियंत्री प्राधिकार द्वारा 1 मार्च, 2016 तक कुल 138 (एक सौ अड़तीस) अभिकरणों को अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है। इनमें से 28 (अठाईस) अनुज्ञप्ति वर्ष 2012 में निर्गत की गई, जिनकी वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 2015 तक समाप्त हो चुकी है। इनमें से 3 (तीन) अनुज्ञप्तियाँ नवीकृत भी की गई है।

दिनांक 1 मार्च, 2016 को राज्य में कार्यरत अनुज्ञप्ति प्राप्त अभिकरणों की संख्या 104 (एक सौ चार) है।

(3) ऐसे निजी सुरक्षा अभिकरण, जिनकी अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, की सूची सम्बंधित वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को भेजते हुये निदेश दिया गया है कि यदि इनमें से कोई अभिकरण कार्यरत हो तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायें।

नागरिक परिषद् का गठन

इ–10. **श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह**—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 के अध्याय–3 (तीन) के क्रम सं० 3.6 पर अंकित बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन राज्य स्तर, जिला स्तर तथा थाना स्तर पर करना है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण जिला स्तर पर तथा कल्याणपुर कोहवा, केसरिया, चकिया, पीपराकोठी, पीपरा सहित अन्य थानों में नागरिक परिषद् गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—बिहार राज्य नागरिक परिषद् का अवधि विस्तार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं० 454, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के आलोक में दिनांक 14 जून, 2014 के प्रभाव से एक वर्ष के लिये अर्थात् 13 जून, 2015 तक किया गया। बिहार राज्य नागरिक परिषद् का पुनर्गठन

प्रक्रियाधीन है। बिहार राज्य नागरिक परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् ही स्तर राज्य, जिला स्तर एवं थाना स्तर पर बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन किया जायेगा।

ट्रांसफॉर्मर लगाना

य–04. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर प्रखण्ड एवं कोटवा प्रखण्ड में 16 के०भी०ए० एवं 25 के०भी०ए० का 30 (तीस) ट्रांसफॉर्मर जले एवं खराब रहने से विद्युत् आपूर्ति बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे.के अन्दर ट्रांसफॉर्मर बदलकर विद्युत् आपूर्ति सुचारू करने का संकल्प लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त क्षेत्र के जले एवं खराब ट्रांसफॉर्मरों को कबतक बदलकर विद्युत् सुचारू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक। (63 के०भी०ए० एवं इससे ऊपर के क्षमता के ट्रांसफॉर्मर को 72 घण्टे के अन्दर बदलने का प्रावधान है।

(3) पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर एवं कोटवा प्रखण्ड में 16 के०भी०ए० एवं 25 के०भी०ए० के 24 अदद् जले/खराब ट्रांसफॉर्मर है, मार्च, 2016 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाना

खा–4. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर एवं कोटवा प्रखंड में सामाजिक, आर्थिक जनगणना में काफी गड़बडी होने के कारण 60 प्रतिशत आबादी अभीतक खाद्य सुरक्षा अधिकार से वंचित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखंडों में सामाजिक, आर्थिक जनगणना में सुधार कर वास्तविक गरीब लाभुकों को खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। पूर्वी चम्पारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड की कुल आबादी 2,67,568 है। जिसके विरुद्ध में 2,28,202 पूर्विकताप्राप्त यूनिट धारकों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है जो कुल आबादी का 85.28 प्रतिशत है।

पूर्वी चम्पारण जिले के कोटवा प्रखंड की कुल आबादी 1,68,788 है जिसके विरुद्ध में 1,32,178 पूर्विकताप्राप्त यूनिट धारको को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है जो कुल आबादी का 78.31 प्रतिशत है। इस प्रकार यहाँ पर भी 60 प्रतिशत आबादी लाभ से वंचित नहीं है।

(2) उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। विभागीय पत्रांक 1316, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वैसे पात्र लाभुक जिनका नाम पूर्विकताप्राप्त सूची में नहीं है वे विहित प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में RTPS

Counter पर आवेदन कर सकते हैं तथा जाँचोपरांत सही पाये जाने पर सूची में उनका नाम जोड़ने की कार्रवाई की जा सकेगी।

पदाधिकारी का पदस्थापन

खा–26. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चमपारण जिला के कोटवा प्रखंड में विगत 5 वर्षों से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं रहने तथा इसमें प्रभार में अन्य के रहने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है तथा उचित लाभ–लाभुकों को प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कोटवा प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी का कबतक पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी के स्वीकृत बल 928 के विरुद्ध वर्तमान में 353 आपूर्ति पदाधिकारी कार्यरत हैं। आपूर्ति पदाधिकारी की कमी के कारण कोटवा प्रखंड में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। वर्तमान में उक्त प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर कराया जा रहा है। उपभोक्ता को परेशानी नहीं होने एवं उचित लाभ प्राप्त करने की दिशा में समुचित कार्रवाई की जा रही है।

आपूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्त्ती हेतु 98 एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 193 पदों पर आपूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है।

बैंक की शाखा खोलना

परि–16. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत वृन्दावन गाँव थाना नं० 163 में राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव की आबादी 10 हजार से ज्यादा है तथा सरकार ने 5 हजार की आबादी पर बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वृन्दावन में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार वृन्दावन गाँव की आबादी 11,833 है।

आर०बी०आई० के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंक का ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने हेतु एस०एल०बी०सी० के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वृन्दावन ग्राम पंचायत के वृन्दावन चौक पर पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र एवं माधोपुर ग्राम में भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केन्द्र है। वृन्दावन से 1.5 किलो मीटर की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक, शीतलपुर का शाखा अवस्थित है।

बैंक की शाखा खोलना

परि–17. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत कोयलावेलवा की आबादी 5 हजार से ज्यादा है तथा उक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई भी शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 5 हजार से अधिक की आबादी पर बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोयलावेलवा में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कल्याणपुर प्रखंड के कोयलावेलवा गाँव की आबादी 5000 से अधिक है, परन्तु मात्र 2 कि०मी० की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक की शीतलपुर शाखा अवस्थित है एवं उक्त ग्राम में भी बी०सी०ए० के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा 31 मार्च, 2017 तक खोलने का लक्ष्य है।

(3) खण्ड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बैंक की शाखा खोलना

ग–17. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 5 हजार की आबादी पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड अन्तर्गत मरघटिया बाजार 10 हजार आबादी के बीच अवस्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मरघटिया बाजार पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को 31 मार्च, 2017 तक ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित है।

राजस्व भुगतान से मुक्ति

त्र–87. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के समौती नदी में जल संचय के लिये नदी

की उड़ाही हेतु 1985 में किसानों के हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिन किसानों का जमीन अधिग्रहित किया गया है उनको जमीन के बदले कीमत के रूप में कम राशि उपलब्ध करायी गई है तथा अभीतक जमीन का राजस्व संबंधित किसान दे रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन के राजस्व भुगतान से किसानों को मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) हाँ, वर्ष 1985 में जल निस्सरण योजनान्तर्गत मेखूआ नाला जिसे सुमौती नदी भी कहा जाता है। जल संचय हेतु जमीन अधिग्रहण किया गया है।

(2) नहीं, जिन किसानों का जमीन अधिग्रहित किया गया था, अर्जनाधीन भूमि से संबंधित बाजार दर पर संबंधित ग्राम का बिक्री आँकड़ा संकलन कर नियमानुसार दर की स्वीकृति प्राप्त कर मौजा का भुगतान किया गया है।

(3) राजस्व भुगतान से संबद्ध रैयतों को लगान छूट हेतु पूर्व में ही अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण एवं संबंधित अंचल अधिकारी से अनुरोध किया जा चुका है। यदि अभीतक लगान छूट नहीं प्राप्त हुआ है तो पुनः अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण एवं संबंधित अंचल अधिकारी से अनुरोध कर लगान से मुक्त कराया जायेगा।

बैंक की शाखा खोलना

वित्त–23. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा प्रखंड के गड़ही पंचायत में सरकारी बैंक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गड़ही पंचायत की जनसंख्या दस हजार से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गड़ही में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 9 बै०को०, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा सूचित किया गया है कि गड़ही पंचायत सिकंदरा प्रखंड में नहीं है बल्कि यह खैरा प्रखंड में है। इस ग्राम पंचायत में कोई बैंक नहीं है।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में 31 मार्च, 2017 ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवाह भवन का निर्माण

टन–67. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड के बिछवे गाँव में पहाड पर जैन मंदिर के पास विवाह भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उस मंदिर में जिला के बहुतायत वर–वधुओं का विवाह होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थान पर विवाह भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड के बिछवे गाँव में बिछवे पहाड़ पर शिव–पार्वती मंदिर अवस्थित है।

(2) लगन के समय 15–20 वर–वधुओं का विवाह इस मंदिर में होता है।

(3) उक्त स्थल पर विवाह भवन निर्माण का सरकार का कोई विचार नहीं है।

पैन की खुदाई

त्र–146. श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड के बहुआर नदी वियर से लेकर सिकन्दरा कोढ़ी आहर की पैन की खुदाई नहीं होने के कारण 500 एकड़ भूमि का पटवन नहीं होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आहर पैन की खुदाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखण्ड अन्तर्गत बहुआर नदी पर पूर्व से निर्मित वीयर है। इससे निकलने वाली कोढ़ी आहर तक के पैन की खुदाई का प्रस्ताव पूर्व में था। परन्तु पैन के एलाइनमेन्ट में सरकारी भूमि नहीं है। यह पैन रैयती जमीन होकर प्रस्तावित है। वर्णित स्थिति में पैन की खुदाई के लिये योजना का विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् डी०पी०आर० तैयार किया जायेगा। तकनीकी रूप से योजना संभव्य एवं भू–अर्जन के पश्चात् निधि उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

योजना का लाभ देना

खा–42. श्री सीताराम यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के खजौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बासोपट्टी, खजौली एवं जयनगर प्रखंड स्थित करीब 5 हजार परिवारों का नाम विगत 2 वर्ष से बी०पी०एल० सूची में दर्ज रहने के बावजूद अभीतक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित प्रखंडों के वंचित 5 हजार बी०पी०एल० लाभुकों का उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। आर्थिक सामाजिक आधारित जनगणना के SECC डाटा के आधार पर पूर्विकताप्राप्त परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पत्रांक 1316, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पात्र परिवार पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में शामिल होने की योग्यता रखते है तो वे विहित प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में RTPS Counter पर आवेदन कर सकते हैं। जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर उन्हें सूची में शामिल किया जा सकेगा।

कार्रवाई करना

खा–39. श्री सुदामा प्रसाद—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में कालाबाजारी का 70 लाख का सरकारी चावल, सिकरहट्टा में जब्त किया गया है जिसका एफ०आई०आर० सं० सिकरहट्टा आ०कां०सं० 13/16 दर्ज है। यदि हाँ, तो सरकार उक्त मामले में कौन–सी कार्रवाई कर रही है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। भोजपुर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अनुदानित चावल का अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी करने के आरोप में सिंह राईस मिल, सिकरहट्टा तरारी में छापामारी के दौरान 6,485 बैग कुल वजन 3017.75 क्विंटल चावल सिकरहट्टा में जब्त किया गया। जिसका एफ०आई०आर० सिकहरट्टा थाना काण्ड संख्या 13/16 दर्ज है। संलिप्तता पाये जाने के कारण TPDS गोदाम के सहायक प्रबंधक श्री दिलीप कुमार सिंह, पीरो तथा श्री मनोज कुमार सिंह, गड़हनी सहित अन्य सी०एम०आर० गोदाम प्रबंधक श्री मशकुर आलम खाँ, एस०एफ०सी० उठाव प्रभारी श्री रविरंजन कुमार, कार्यपालक सहायक, परिवहन अभिकर्त्ता मेसर्स राज ट्रेडर्स के मालिक श्रीमती पुष्पा देवी, पति–श्री रामेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पु साह, सिंह राईस मिल के मालिक श्री निरज कुमार सिंह, पिता–श्री मनोज कुमार सिंह, ग्राम–कुरमुरी, थाना–सिकरहट्टा तरारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 1505, दिनांक 3 फरवरी, 2016 के आलोक में विभागीय आदेश सं० 968, दिनांक 9 फरवरी, 2016 द्वारा श्री मशकुर आलम खाँ (आपूर्ति निरीक्षक), तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 348 गो०आ०, दिनांक 5 फरवरी, 2016 के आलोक में प्रभारी जिला प्रबंधक, भोजपुर श्री कुमार पटेल की सेवा उनके पैतृक विभाग, सहकारिता विभाग को वापस करते हुये निलम्बित करने की अनुशंसा की गई। जिला पदाधिकारी, भोजपुर से श्री खाँ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराने, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से मुख्य परिवहन अभिकर्त्ता मे० राज ट्रेडर्स के मालिक, सिंह राईस मिल के मालिक, संविदा आधारित लिपिक श्री रविरंजन कुमार, कार्यपालक सहायक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने एवं इस मामले में सहायक गोदाम प्रबंधक टी०पी०डी०एस० गोदाम पीरो, श्री दिलीप कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक, टी०पी०डी०एस० गोदाम, गड़हनी एवं उठाव प्रभारी, बिहार राज्य खाद्य निगम को निलम्बित करते हुये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने, 4 जी० कम्पनी के संचालक के विरुद्ध एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप विधि सम्यक् कार्रवाई करने तथा आरक्षी महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से इस मामले की जाँच कर यथोचित कार्रवाई करने तथा फलाफल से अवगत कराने के लिये अनुरोध किया गया है। इस संबंध में रेभन्यू मिसलेनियस वाद सं० 09/15–16 राज्य बनाम निरज कुमार सिंह, सिकरहट्टा थाना काण्ड सं०–13/16 में राज्यसात आदेश के उपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी, पीरो एवं जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर, आरा को जब्त खाद्यान्न बिक्री कराने का आदेश दिया जा चुका है।

कार्रवाई करना

सामु–05. डॉ० संजीव चौरसिया—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दीघा वार्ड–1, राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, केशरी नगर, वार्ड सं० 6, नेपाली नगर, चन्द्र बिहार कॉलोनी, वार्ड सं० 2 के निवासियों का स्थायी आवास प्रमाण–पत्र के निर्गमन पर रोक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र के निवासी होल्डिंग टैक्स एवं अन्य संवैधानिक क्रिया–कलाप में बराबर के सहभागी हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को स्थाई आवास प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक हैं।

(2) अस्वीकारात्मक है। प्रश्नगत भूमि आवास बोर्ड की अर्जित भूमि है। अतः इस पर किसी भी अतिक्रमणकारी के नाम से होल्डिंग काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

ज–33. डॉ० संजीव चौरसिया—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के वार्ड सं० 6 एवं 7 के अन्तर्गत थाना संख्या 1 दीघा (वर्तमान दीघा, राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, नेपाली नगर, केसरी नगर, चन्द्र बिहार कॉलोनी) में अवस्थित 1024.52 एकड़ जमीन पर बसे लोगों को सड़क, नाले, साफ–सफाई, ड्रेनेज आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्णित क्षेत्रों के सड़क एवं नाला की साफ समय–समय पर पटना नगर निगम द्वारा करायी जाती है। संबंधित वार्ड पार्षदों से सड़क एवं नाला निर्माण योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी।

योजना का लाभ

खा–13. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखंड के वासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत में वर्तमान में छः जन–वितरण प्रणाली दूकानें संचालित हैं, परन्तु खुलने एवं बंद होने के सरकारी कैलेंडर का अनुपालन नहीं करने, खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड नहीं मिलने तथा डीलर के पंजी में नाम दर्ज नहीं रहने के कारण बड़ी संख्या में लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित

है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। जन–वितरण प्रणाली की दूकान खोलने एवं बंद होने के सरकारी कैलेंडर अनुपालन किया जाता है।

बासुकी बिहार उत्तर पंचातय के खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत कुल लाभुक/सदस्य की संख्या 7790 है। इन सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा सभी लाभार्थी के बीच कार्ड का वितरण किया जा चुका है। विभागीय पत्रांक 1316, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पात्र परिवार पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में शामिल होने की योग्यता रखते हैं तो वें विहित प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में RTPS Counter पर आवेदन कर सकते हैं। जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर उन्हें सूची में शामिल किया जा सकेगा।

व्यवस्था करना

द–86. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के उच्छाल गाँव स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में समुचित संसाधनों एवं दवा का अभाव रहता है जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र एक पदस्थापित चिकित्सक को प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, बासोपट्टी में भी अपनी सेवा देनी पड़ती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की नियमित प्रतिनियुक्ति करने और दवा की समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) • बिहार लोक सेवा आयोग से लगभग दो हजार सामान्य चिकित्सकों एवं लगभग छः सौ विशेषज्ञ चिकित्सक का अनुशंसा प्राप्त है।

• चिकित्सकों का पदस्थापन अगले दो माह में कर दिया जायेगा।

• अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्कीस प्रकार की दवाएँ उपलब्ध है।

बैंक की शाखा खोलना

ग–13. श्रीमती समता देवी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखण्ड के सिन्दुआरी पंचायत में सरकारी बैंक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत की आबादी 6 हजार से भी अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर बैंक की

शाखा खोलने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में 31 मार्च, 2017 तक ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित है।

बैंक की शाखा खोलना

ग–14. श्रीमती समता देवी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचटी प्रखण्ड के पतलूका गाँव में सरकारी बैंक की कोई शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पतलूका गाँव की आबादी 6 हजार से भी अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पतलूका गाँव में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) अस्वीकारात्मक। वास्तविकता यह है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उक्त गाँव का जनसंख्या 1,870 है एवं 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 2,370 है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में 31 मार्च, 2017 तक ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित है।

विद्युतीकरण कार्य कराना

य–8. श्री सैयद अबु दौजाना—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत ग्राम–हनुमान नगर के डेराटोल वार्ड नं०–5, महादलित बस्ती, वार्ड नं०–5, बैद्यनाथपुर टोल वार्ड नं०–6, ब्रह्फमस्थान टोल वार्ड नं०–7 एवं 8, पांडेय टोल वार्ड नं०–8 एवं 9, पोखर टोल वार्ड नं०–10, मियांजी टोल वार्ड नं०–11, महादेव टोल वार्ड नं०–11, सियाबलम पांडेय क्षेत्र वार्ड नं०–11, मुसहरी टोल वार्ड नं०–13 एवं अफरबा टोल वार्ड नं०–12 विद्युतीकरण से पूर्ण रूप से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर कबतक विद्युतीकरण का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक। प्रश्नवर्णित ग्राम व टोलों में विद्युतीकरण का कार्य 12वीं योजनान्तर्गत में स्वीकृत है। कार्य का निष्पादन कार्यरत एजेंसी मे० इनरगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लि० द्वारा अगस्त, 2016 तक करने हेतु लक्ष्य निर्धारित है।

प्रतिनियुक्ति करना

द–62. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, कटिहार में वर्ष 2011 से निर्मित इंटेन्सिव केयर यूनिट (आई०सी०यू०) हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं तकनीकी सहायक के अभाव में संचालित नहीं हो पा रहा है.;

(2) क्या यह बात सही है कि आई०सी०यू० के संचालन के अभाव में गंभीर रोगियों के काल–कलवित होने के साथ–साथ बिना उपयोग के आई०सी०यू० के उपकरण भी खराब हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आई०सी०यू० के संचालन हेतु हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं तकनीकी सहायक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है।

(i) सदर अस्पताल कटिहार के आई०सी०यू० में चिकित्सक का 5 पद स्वीकृत है।

(ii) संविदा पर चिकित्सक कार्यरत हैं।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(3) उपर्युक्त खंडों के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

खा–34. श्री उमेश सिंह कुशवाहा—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के जन्दाहा एवं महनार प्रखंड में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक एवं कुछ जन–वितरण बिक्रेता के द्वारा पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों के बीच एक माह बीच करके अनाज एवं किरोसिन का वितरण किया जाता है, जिससे लाभुक को वर्ष में छः माह का ही अनाज एवं किरोसिन मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जाँच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। विभागीय प्रावधान के अनुसार जन–वितरण प्रणाली बिक्रेताओं के माध्यम से राशन/किरासन कूपन के आधार पर बी०पी०एल०, अन्त्योदय योजना एवं ए०पी०एल० परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार 2.750 लीटर एवं शहरी क्षेत्र में 2.250 लीटर किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। पी०एच०एच० योजना के अन्तर्गत प्रति सदस्य (यूनिट) 2 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 3 कि०ग्रा० चावल कुल पाँच कि०ग्रा० खाद्यान्न तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 14 कि०ग्रा० गेहूँ एवं 21 कि०ग्रा० चावल कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न की आपूर्ति प्रत्येक माह की जाती है। उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत गेहूँ 2 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से एवं चावल 3 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर से आपूर्ति करवाई जाती है। राशन/किरासन कूपन पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की देय मात्रा एवं मात्रा अंकित (प्रदर्शित) रहता है। वितरण के पश्चात् राशन/किरासन कूपन अनुमंडल कार्यालय द्वारा वापस लेने के पश्चात् ही अगले माह का आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

किसी विक्रेता के विरुद्ध अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।

किराया का भुगतान

खा–21. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत डोभी प्रखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 में धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु सावित्री देवी, ग्राम+पो०+थाना–डोभी, गया से किराया पर गोदाम लिया गया था, जिसका दो वर्ष का किराया मो०–2,40,000.00 रु० का भुगतान कबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गोदाम को वर्णित किराया का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। गया जिला अंतर्गत डोभी प्रखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 में धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम+पो०+थाना–डोभी, गया से किराया पर गोदाम लिया गया था, परन्तु जिला प्रबंधक एवं उक्त गोदाम मालकिन द्वारा भेजे गये किराये निर्धारण के प्रस्ताव में गोदाम के परिमाप में त्रुटि रहने के कारण किराये का निर्धारण नहीं हो सका था। फलतः किराया भुगतान संबंधी कार्रवाई नहीं की जा सकी।

जिला प्रबंधक द्वारा परिमाप संबंधी त्रुटि निराकरण कर भेजा गया है, किराया का निर्धारण 15 दिनों के अंदर एवं किराया का भुगतान किराया निर्धारण के पश्चात् एक महीने के अंदर कर दिया जायेगा।

डॉक्टर को पदस्थापित करना

द–283. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थापित नहीं है जिसके कारण उक्त रोग मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त कराने में कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुमण्डलीय अस्पताल, शेरघाटी में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) • सामान्य चिकित्सकों का दो हजार, नौ सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से लगभग एक हजार नौ सौ पचास का अनुशंसा प्राप्त है।

• विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगभग दो हजार, सात सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से छः सौ का अनुशंसा प्राप्त है।

• उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

बैंक की शाखा खोलना

वित्त–18. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के पंचायत बियारपुर एवं कवैया में बैंक की शाखा नहीं है, जबकि उक्त सभी स्थानों की आबादी अलग–अलग 20 हजार से अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में बैंक की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के बियारपुर पंचायत में कुल छः राजस्व ग्राम है यथा बियारपुर जनसंख्या (1803), डलिया हुसैनाबाद जनसंख्या (973), पिपरा जनसंख्या (1962), धनगामा जनसंख्या (1466) एवं उचितपुर जनसंख्या (2890) जिसकी कुल जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार 9,094 है। बियारपुर पंचायत के उचितपुर ग्राम में इलाहाबाद बैंक का बी०सी०ए० कार्यरत है। यहाँ से 6 कि०मी० की दूरी पर भारतीय स्टेट बैंक के दिवानगंज शाखा है।

इसी प्रकार पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड में ग्राम पंचातय के कवैया के अन्तर्गत पाँच राजस्व ग्राम है यथा कवैया जनसंख्या (6,430), पीरगंज जनसंख्या (2,847), हीराधार (बेचिरागी), शोभागंज (बेचिरागी), पीरगंज एराजी (बेचिरागी) जिसकी कुल जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार 9,277 है। कवैया ग्राम में स्टेट बैंक का सी०एस०पी० (कस्टमर सर्विस प्वाइंट) अवस्थित है जिसके माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। 4 कि०मी० की दूरी पर हरदा बाजार में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में ब्रिक एण्ड मोर्टार ब्रांच शाखा 31 मार्च, 2017 तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विकसित करना

टन–53. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत प्राचीन पूरणदेवी मंदिर, सौरा तट पर माँ काली मंदिर, जलालगढ़ का प्राचीन किला, बनमनखी में माणिक स्तम्भ, संत महर्षि मेही की तपोभूमि, भवानीपुर में भवन देवी मंदिर, बायसी में दरगाह को देखते हुये दूर–दूर से पर्यटक आते हैं परन्तु उक्त स्थलों पर मूलभूत एवं आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जिससे लोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

(2) पूरणदेवी मंदिर के निकट पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिये 1,58,44,000/–(एक करोड़ अंठावन लाख चौवालीस हजार) की योजना स्वीकृत की गई है जिसके अंतर्गत पर्यटन भवन, जनसुविधा, रास्ता, पार्किंग, घाट इत्यादि का विकास किया जाना है। अभी पर्यटन भवन, घाट एवं जनसुविधा के संरचना कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बायसी प्रखण्ड के दरगाह में उर्स मेला के दिन ही काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है एवं उस दिन वहाँ मूलभूत सुविधाओं

की व्यवस्था की जाती है।

विवाह भवन का निर्माण

टन–58. श्री विद्या सागर केशरी—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखण्ड अन्तर्गत कुसमाहा पंचायत में ऐतिहासिक रामजानकी मंदिर है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मंदिर का सौंदर्यीकरण नहीं होने से मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व खो रही है तथा मंदिर परिसर में विवाह भवन नहीं होने से लोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त मंदिर का सौंदर्यीकरण कराने के साथ मंदिर परिसर में विवाह भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) एवं (3) राज्य के विभिन्न जिलों में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल है जिनका पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु विभाग स्तर पर पर्यटन रोडमैप का निर्माण किया जा रहा है ताकि इन स्थलों का विकास किया जा सके।

बैंक की शाखा खोलना

परि–10. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 5000 से ऊपर की आबादी वाले गाँवों में बैंक की शाखा की स्थापना करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के खुटहा, रामगढ़ प्रखंड के औरे एवं नन्दनामा गाँवों की जनसंख्या 6 हजार से अधिक है, लेकिन आजतक किसी भी गाँवों में बैंक की कोई शाखा नहीं खुली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में वर्णित गाँवों में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक। आर०बी०आई० के पत्रांक 482, दिनांक 8 जनवरी, 2016 के द्वारा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंक का ब्रिक एण्ड मोर्टार शाखा खोलने हेतु एस०एल०बी०सी० के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बड़हिया प्रखंड के खुटहा गाँव की आबादी 2001 के जनगणना के अनुसार 13,302 है। इसमें दो ग्राम पंचायत खुटहा पश्चिम एवं खुटहा पूर्वी है। रामगढ़ प्रखंड के औरे गाँव की आबादी 4,665 एवं नन्दनामा गाँव की आबादी 6,549 है। उक्त ग्रामों में बैंकिंग सुविधा बी०सी०ए० के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है तथा खुटहा ग्राम बिहार ग्रामीण बैंक, बड़हिया एवं औरे तथा नन्दनामा ग्राम केनरा बैंक लखीसराय से आच्छादित है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार SLBC पटना द्वारा रामगढ़ प्रखंड के नन्दनामा गाँव

में बैंक की शाखा खोलने के लिये बंधन बैंक को एवं बड़हिया प्रखंड के खुटहा गाँव में बिहार ग्रामीण बैंक को निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा बाँध बनाना

ग्राम्य–79. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड में दरियापुर से ग्राम–शहजादपुर तक बरसात में हरूहर नदी के भीषण कटाव से उक्त दोनों ग्रामों के दर्जनों घर प्रभावित है, जिससे नदी किनारे बसे लोग बरसात में अपना घर छोड़ कर जाने के लिये मजबूर होते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम–दरियापुर से शहजादपुर तक नदी किनारे सुरक्षा बाँध बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखण्ड में हरोहर नदी के किनारे राजलक्ष्मी पंचायत में दरियापुर एवं शहजादपुर गाँव अवस्थित है। जिसकी दूरी नदी के किनारे से लगभग 5 मीटर एवं 75 मीटर है। दरियापुर ग्राम के निकट नदी मुड़ती है, जिस कारण लगभग 200 मी० की लम्बाई में 1.5 मी० से 2.0 मी० (लगभग) की चौड़ाई में मिट्टी का धसान हुआ है। आवासितों का घर प्रभावित नहीं हुआ है तथा बरसात में घर छोड़ने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। स्थल की स्थिति के अनुसार नदी किनारे का सुरक्षात्मक कार्य पर्याप्त है तथा सुरक्षा बाँध की आवश्यकता नहीं है। नदी किनारे के सुरक्षा निमित बाढ़ सुरक्षात्मक योजना तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन कराकर स्थल को सुरक्षित रखने हेतु निदेश दिया गया है। प्रश्नगत शेष भाग में बाढ़ अवधि में नदी के जलश्राव में वृद्धि होने पर नदी के किनारा का क्षरण कभी–कभी, कहीं–कहीं होता है। स्थल पर सतत् निगरानी रखने तथा बाढ़ अवधि में कटाव की स्थिति में आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने का निर्देश है।

राशन कार्ड का वितरण

खा–31. श्री विनय वर्मा—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2007 के गणना के अनुसार नरकटियागंज प्रखंड में बी०पी०एल० 41,920 परिवारों में से 12,576 और लौरिया प्रखंड में 505 परिवारों का राशन कार्ड का वितरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त परिवारों को राशन कार्ड का वितरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक। वर्ष 2007 के सर्वेक्षण के अनुसार निर्गत राशन कार्ड पर राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC), 2011 के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी/अन्त्योदय के लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्विकताप्राप्त लाभार्थियों की संख्या नरकटियागंज प्रखंड में 2,18,666 तथा लौरिया प्रखंड में 1,53,302 है।

पत्रांक 1316, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पात्र परिवार पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में शामिल होने की योग्यता रखते है तो वे विहित प्रपत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में RTPS Counter पर आवेदन कर सकते हैं। जाँचोपरांत योग्य पाये जाने पर उन्हें सूची में शामिल किया जा सकेगा।

चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध

द–308. श्री विनय वर्मा—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के मेरे विधान सभा क्षेत्र नरकटियागंज में 100 बेड का अस्पताल है, जहाँ एक्स–रे, सी०टी० स्कैन एवं पैथोलौजी जाँच मशीन उपलब्ध है किन्तु सक्षम डॉक्टर एवं उक्त उपकरणों के संचालन हेतु टेकनीशियन उपलब्ध नहीं है जिससे मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है जबकि उक्त अस्पताल वर्ष 2014 से अनुमण्डलीय अस्पताल के लिये चयनित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में अनुमंडलीय अस्पताल के तर्ज पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है।

• अनुमण्डलीय अस्पताल नरकटियागंज में एक्स–रे सी०टी० स्कैन एवं पैथोलौजी जाँच मशीन की सुविधा उपलब्ध किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा।

• सामान्य चिकित्सकों का दो हजार, नौ सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से लगभग एक हजार नौ सौ पचास का अनुशंसा प्राप्त है।

• विशेषज्ञ चिकित्सकों का लगभग दो हजार, सात सौ का अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया, जिसमें से छः सौ का अनुशंसा प्राप्त है।

• आवश्यकतानुसार चिकित्सकों का पदस्थापन शीघ्र कर दिया जायेगा।

• दो हजार अड़तालीस टेकनिशियन के स्थायी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है, जिसका अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी।

बैंक की शाखा खोलना

परि–8. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड अन्तर्गत सुन्दरगंज बाजार में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का कोई शाखा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में बैंक का शाखा नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को बैंकिंग कार्यों में काफी असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर स्टेट बैंक या

पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) अस्वीकारात्मक। सुन्दरगंज बाजार में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का सुन्दरगंज शाखा कार्यरत है।

(3) उपरोक्त के आलोक में ऐसा परामर्श SLBC के माध्यम से बैंकों को दिया जाना समीचीन नहीं है।

जर्जर तार बदलना

य–60. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत पुनपुन फीडर का 25 कि०मी० तथा टेंगरा फीडर का 20 कि०मी० तार जर्जर है, जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जर्जर तार को बदलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है।

(2) औरंगाबाद जिलान्तर्गत 11 के०भी० पुनपुन फीडर में सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 17 कि०मी० जर्जर तार में से अबतक 14 कि०मी० तार बदला जा चुका है। टेंगरा 33 के०भी० फीडर के तार की स्थिति सामान्य है। विगत वर्ष में दुर्घटना का कोई मामला प्रकाश में नहीं है।

शेष बचे 3 कि०मी० तार को प्राथमिकता के आधार पर जून, 2016 तक बदले जाने का लक्ष्य है।

योजना पूरा करना

सामु–18. श्री विजय कुमार विजय—क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल–सह–सड़क पुल से पूरब गंगा नदी के उत्तर किनारे पर 10 से 12 कि०मी० गंगा कटाव से 27 गाँव के एक लाख की आबादी विस्थापित होने के कगार पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 9 जनवरी, 2015 को गंगा नदी के मुंगेर घाट से टीकारामपुर तक कटाव निरोधक कार्य हेतु 61.89 करोड़ रुपये मंजूरी दी गयी, परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त योजना को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गाँव प्रभावित न होकर खेती योग्य भूमि का कटाव हुआ है।

(2) गंगा नदी के बायें किनारे मुंगेर घाट से टीकारामपुर तक कटाव निरोधक कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 61.89 करोड़ है, विभागीय पत्रांक 316, दिनांक 30 जनवरी, 2015 द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में टेक्निकल एप्रेजल के प्रक्रियाधीन है।

(3) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा टेक्निकल एप्रेजल के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई की जायेगी।

स्वास्थ्य उप–केन्द्र चालू करना

द–242. **श्री विजय कुमार विजय**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बरियापुर प्रखण्ड के हरिणभार पंचायत में एक स्वास्थ्य उप–केन्द्र है जो कर्मचारियों के अभाव में बन्द रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दियारा के लोगों को बीमार होने या दुर्घटना होने पर खगड़िया जिले के गोगरी अस्पताल में आना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हरिणभार पंचायत के स्वास्थ्य उप–केन्द्र में चिकित्सक एवं अन्य कर्मी पदस्थापित कर इसे चालू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक नहीं है।

(2) स्वास्थ्य उप–केन्द्र में पदस्थापित ए०एन०एम० द्वारा आम जनता को नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(3) • मुंगेर जिला के बरियारपुर प्रखंड के हरिणभार पंचायत में एक स्वास्थ्य उप–केन्द्र है।

• उप–स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।

• उप–स्वास्थ्य केन्द्र में ए०एन०एम० का दो पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध श्रीमती अंजू कुमारी, संविदा ए०एन०एम० एवं श्रीमती जयमाला कुमारी नियमित ए०एन०एम० पदस्थापित हैं।

धर्मशाला का निर्माण

टन–64. **श्री वीरेन्द्र कुमार**—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखण्ड के सिमरियाघाट पर प्रतिवर्ष कल्पवास का मेला लगता है तथा इस घाट पर कल्पवास करने हेतु देश एवं विदेश के पर्यटक आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सिमरियाघाट पर कल्पवास मेला में देश एवं विदेश पर्यटक को ठहरने के लिये सरकारी धर्मशाला नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिमरियाघाट पर सरकारी धर्मशाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) सिमरियाघाट आनेवाले पर्यटकों के द्वारा वहाँ अवस्थित दो सामुदायिक भवनों, एक प्रशासनिक भवन, निजी मठ एवं अन्य भवनों का भी उपयोग किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा सिमरिया घाट के विकास एवं सौंदर्यीकरण के अन्तर्गत जन सुविधा ब्लॉक का निर्माण कराया गया है।

इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा "नमामि गंगे" परियोजना के तहत गंगा नदी पर अवस्थित घाटों के सौन्दर्यीकरा एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु कार्रवाई की जा रही है।

बि०स०मु० (एल०ए०)–41–डी०टी०पी०–400